संख्या - 11020/10/97-अ० भा० से०-III

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर 22, 1997

सेवा में,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

विषय :- सात वर्ष की सेवा पूरी करने के पूर्व अध्ययन के लिए छुट्टी की मंजूरी दिए जाने के संबंध में ।

महोदय,

मुझे, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियमावली, 1960 के अंतर्गत, सेवा के सदस्य जिसने सरकार के अंतर्गत सात वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, को सामान्यतः अध्ययन छुट्टी की मंजूरी नहीं दी जाएगी ।

2. इस विभाग के पास इस आशय के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं जिनमें राज्य सरकार ने, सेवा के सदस्य की सेवा के सात वर्ष पूरे करने से बहुत पहले ही अध्ययन हेतु असाधारण छुट्टी, अर्जित छुट्टी तथा अन्य तरह की छुट्टियां मंजूर करने की सिफारिश की है । वस्तुतः इससे अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियमावली, 1960 के विनियम 3 (4) (1) के प्रावधानों की प्रवंचना हुई है ।

3. अखिल भारतीय सेवाएं अपने सदस्यों को, जिम्मेदारी के विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है । सेवा के पहले सात वर्ष, सेवा का विकास काल होते हैं अतः सेवा के सदस्यों को अपने समय तथा कार्यशक्ति को अपने कार्य क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करने के प्रति समर्पित करना चाहिए ताकि वे अपनी भावी उच्च जिम्मेदारियों को बखूबी से निभा सकें । शैक्षिक योग्यता सरकार के अंतर्गत विभिन्न जिम्मेदारियों को संभालते हुए अर्जित किए गए अनुभव का स्थान नहीं ले सकती ।

4. यह लोकहित तथा सेवा के सदस्यों के हित में भी होगा कि सेवा के प्रारंभिक कतिपय वर्ष शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बजाय कार्य अनुभव प्राप्त करने में व्यतीत किए जाएं ।

5. अतः यह निर्णय लिया गया है कि सरकार के अंतर्गत की गई सेवा के सात वर्ष पूरे करने के पहले अध्ययन के लिए न तो अध्ययन छुट्टी तथा न ही किसी और तरह की छुट्टी जैसे अर्जित छुट्टी अथवा असाधारण छुट्टी प्रदान की जाए ।

6. यह अनुरोध किया जाता है कि ये अनुदेश राज्य संवर्ग के सदस्यों के ध्यान में लाए जाएं ।

भवदीय,

ह०/-

(ए० के० सरकार)

निदेशक (सेवाएँ)

दूरभाष : 3014398

प्रति प्रेषित :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

No. 11020/10/97-AIS-III

Government of India

Ministry of Personnel, P. G. & Pensions

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 22 Dec.' 97.

To,

Chief Secretaries of All States/UTs.

Subject : Grant of leave for the purpose of study before completion of seven years of service–regarding.

Sir,

I am directed to refer to the above mentioned subject and to say that under All India Services (Study Leave) Regulation, 1960, study leave shall not ordinarily be granted to a member of the service who has rendered less than seven years of service under the Government.

2. This Department has been receiving proposals wherein the State Governments have recommended grant of Extraordinary Leave, Earned Leave or other kinds of leave for the purposes of study even much before completion of 7 years of service. This is in effect circumvention of the provision of Regulation 3 (4) (i) of AIS (Study Leave) Regulation, 1960.

3. The All India Services provide sufficient opportunities to their members to develop their personality by working in various responsible posts. The first seven years in service are the formative years and the members of the services should devote their time and energy to acquiring experience in their area of work in order to develop themselves for the future higher responsibilities. No academic qualification can be a substitute for the experience acquired through handling various responsibilities in the Government.

4. It would be in the public interest and also in the interest of the members of the Services that the first few years are devoted to enrichment through work experience instead of acquiring academic qualifications.

5. It, therefore, has been decided that neither Study Leave should be granted nor any other kind of leave like Earned Leave or Extraordinary Leave should be granted to a

member of the service for the purposes of study before completion of 7 years of service under the Government.

6. It is requested that these instructions may be brought to the notice of the members of the Services working in the respective state cadres.

Yours faithfully,

Sd/-

(A. K. Sarkar)

Director (Services)

Tel. No. 3014398

Copy to ;

1. All Ministries/Department of Government of India.

सं० 11030/15/97 अ०भा०से० (II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 15/10/1997

सेवा में,

राज्य-सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

विषय :- भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम- वरिष्ठ समय वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और चयन ग्रेड में नियुक्ति-नियुक्ति की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सेवा के परिकलन का तरीका ।

महोदय,

कृपया इस विभाग के दिनांक 31.03.1987 और 08.07.1987 के पत्र संख्या 11030/22/87 अ० भा०से० (II) तथा दिनांक 16.03.1993 के पत्र संख्या 11030/21/91 अ० भा० से० (II) का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों से इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि नियमों के अन्तर्गत सेवा का कोई सदस्य वरिष्ठ समय-वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और चयन ग्रेड में संगत वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन की स्थिति के अनुसार, पदोन्नत किए जाने का हकदार होता है । केन्द्रीय सरकार ने, उपर्युक्त पत्रों में यह निर्दिष्ट किया है कि नियमों के अन्तर्गत, वरिष्ठ समय-वेतनमान और चयन ग्रेड में पदोन्नति के संबंध में अपेक्षित वर्षों की अर्हक सेवा का संगणन संगत वर्ष के जुलाई माह के पहले दिन और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (गैर-कार्यात्मक) में पदोन्नति के लिए अपेक्षित वर्षों की अर्हक सेवा का संगणन संगत वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन किया जायगा ।

3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के अन्तर्गत नियम-स्थिति यह है कि वरिष्ठ समय-वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और चयन-ग्रेड में पदोन्नति के लिए चार वर्ष, नौ वर्ष और 13 वर्ष की अर्हक सेवा का परिकलन किसी सदस्य के उपर्युक्त सेवा में आबंटन के वर्ष से किया जाना अपेक्षित है । भारतीय प्रशासनिक सेवा में संबंधित ग्रेडों में पदोन्नतियां राज्य सरकारों द्वारा, केन्द्रीय सरकार के नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों में किए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है । अत: नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकारें, संगत वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन

की स्थिति के अनुसार, संबंधित ग्रेडों में, रिक्तियाँ उपलब्ध होने की स्थिति में, सेवा के किसी सदस्य को वरिष्ठ समय-वेतनमान और चयन ग्रेड में पदोन्नत करने में सक्षम है। कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति के संबंध में, ग्रेड गैर-कार्यात्मक होने से, उस ग्रेड में पदोन्नति संगत वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन की स्थिति के अनुसार ही की जाए।

4. इस विषय में, ऊपर के पैरा में विस्तारपूर्वक वर्णित नियम-स्थिति पर विचार करते हुए पहले के पत्रों में, संगत वर्ष के जुलाई माह के पहले दिन को वरिष्ठ समय वेतनमान और चयन ग्रेड में पदोन्नति किए जाने के लिए संगत दिनांक समझे जाने विषयक सुझाव संबंधी भारत-सरकार की संसूचना केवल सलाहकारी प्रकृति का है और यह, राज्य-सरकारों द्वारा इन ग्रेडों में रिक्तियां उपलब्ध होने पर और उनके सबंध में, केन्द्रीय सरकार के नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार संगत वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन या उसके बाद पदोन्नतियां करने की शक्ति को किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं करती। बहरहाल इस आदेश को देखते हुए, विगत के ऐसे मामलों, जहां चयन ग्रेड पहले ही दिए जा चुके हैं, को दोबारा खोला नहीं जाएगा।

5. उपर्युक्त आदेश, यथावश्यक संशोधित रूप में, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के सदस्यों के संबंध में भी लागू होगा।

ह०/-

(ए० के० सरकार)

निदेशक (सेवाएं)

संख्या 11030/22/91-अ०भा०से०-II

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16-3-93

सेवा में,

राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

विषय :- **भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली--वरिष्ठ समय वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तथा चयन ग्रेड पर नियुक्ति--नियुक्तियों के लिए पात्रता के परिकलन की पद्धति ।**

संदर्भ :- इस विभाग का दिनांक 31 मार्च, 1987 तथा 6 जुलाई, 1987 का पत्र संख्या 11030/22/87-अ०भा०से०(II)

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 तथा भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के सादृश्य नियमों में यह व्यवस्था है कि सेवा के सदस्य को वरिष्ठ समय वेतनमान में चार वर्ष की सेवा पूरी करने और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नौ वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद पदोन्नत कर दिया जाएगा बशर्ते कि उपयुक्तता हो । नियमों में यह भी व्यवस्था है कि चयन ग्रेड के लिए अधिकारियों पर विचार उनकी सेवा के 14वें वर्ष में प्रवेश करने पर वरीयता एवं वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा । हमारे ऊपर निर्दिष्ट दिनांक 31 मार्च, 1987 के पत्र के अनुसार वरिष्ठ समय वेतनमान तथा चयन ग्रेड में नियुक्ति के लिए अधिकारी उस वर्ष की 1 जुलाई के बाद किसी भी समय पात्र हो जाता है जिस वर्ष वह संबंधित सेवा के 4 तथा 13 वर्ष पूरे कर लेता है बशर्ते कि उन ग्रेडों में रिक्तियाँ उपलब्ध हों । सभी अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्ति की अनुमति स्वाभाविक रूप से उसके वर्ष की पहली जुलाई को दे दी जाती है जिस वर्ष वह सेवा के 9 वर्ष पूरे कर लेता है । इन अनुदेशों को पदोन्नत अधिकारियों के मामलों में संबंध में हमारे दिनांक 6.7.87 के पत्र द्वारा आगे संशोधित कर दिया गया था जहां ऐसे अधिकारियों को संबंधित कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तथा चयन ग्रेड में नियुक्ति के लिए 9 वर्ष और 13 वर्ष की अवधि की गणना किए जाने का विकल्प, या तो जिस मास से उनकी सेवा में नियुक्ति हुई थी उसके बाद वाले मास से अथवा उस मास से जिस मास से उन्होंने संवर्ग पद पर लगातार काम करना शुरू कर दिया था उसके बाद वाले मास से सेवा में उनकी नियुक्ति तत्काल हो जाने पर, देने की अनुमति दी गई थी ।

2. यह देखा गया है कि हमारे दिनांक 6.7.87 के पत्र में दिए गए उपबंधों के लागू होने से पदोन्नत अधिकारी कभी-कभी इन ग्रेडों में उसी बैच के उन्हीं के स्तर के सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारियों से जो आम तौर पर इनसे वरिष्ठ होते हैं, से पहले इन ग्रेडों में पदोन्नति के लिए पात्र हो जाते हैं । यह भी देखा गया है कि उक्त पत्र के परिणामस्वरूप पदोन्नत अधिकारियों के बीच भी कुछ विसंगतियां हो गई हैं, यह कि इस स्तर के कनिष्ठ अधिकारी कभी-कभी उसी सेवा के अपने से वरिष्ठ अधिकारियों से पहले इन ग्रेडों में पदोन्नत हो जाते हैं । इन विसंगतियों की जांच की गई थी और हमारे दिनांक 24.12.90 के पत्र संख्या 11030/35/90-अ०भा०से०-II द्वारा स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । यह स्पष्ट किया गया था कि पदोन्नत अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उसी बैच के नियमित सीधी भर्ती के अपने से वरिष्ठ अधिकारी से पहले संगत वर्ष की पहली जुलाई से नियुक्ति के लिए पात्र हो सकते हैं चूंकि इस पदोन्नति से अधिकारियों को थोड़ा ही लाभ होता था अतः इस विसंगति को दूर करने के लिए नियमों में संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा गया था । यह भी स्पष्ट किया गया था कि उक्त विसंगति चयन ग्रेड में अधिकारियों को पदोन्नति के समय स्वयं ही दूर हो जाती है चूंकि चयन ग्रेड में नियुक्ति वेतन नियमावली के नियम 3 (2क) के अनुसार संपूर्ण विभागीय पदोन्नति समिति की प्रविष्टियों का अनुसरण करते हुए वरीयता एवं वरिष्ठता के आधार पर ही दी जाती है ।

3. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्ति के सबंध में उपर्युक्त विसंगति दूर करने के प्रश्न पर सरकार गौर कर रही है । यह देखा गया है कि कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उक्त विसंगति के परिणामस्वरूप सीधी भर्ती के अधिकारियों तथा पदोन्नत अधिकारियों में सामान्यतः समान बैच के कनिष्ठ अधिकारियों की तुलना में जो सामान्यतः हमारे दिनांक 6.7.87 के पत्र के प्रावधानों को लागू करके पहले की तारीखों से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्त किए जाते हैं अधिक वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्राप्त वेतन को भारी नुकसान पहुंचाता है । इस विभाग में मामले पर विस्तार से विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड गैर-कार्यात्मक है तथा सामान्यतः अधिकारियों को बिना किसी जांच के उपलब्ध हो जाता है, इसलिए अधिकारियों को यह ग्रेड उस वर्ष की 1 जनवरी से दिया जा सकता है जिस वर्ष में वे 9 वर्ष की सेवा पूरी करते हों ।

4. किन्तु वरिष्ठ समय वेतनमान तथा चयन ग्रेड में पदोन्नति से संबंधित स्थिति वही रहेगी जिससे इन ग्रेडों की पदोन्नतियां रिक्तियों की उपलब्धता तथा वेतन नियमों एवं भर्ती नियमों के अन्य संबद्ध सांविधिक प्रावधानों के अध्यधीन संबंधित वर्षों की 1 जुलाई से अथवा इसके पश्चात् उपलब्ध होती रहेगी । इस संबंध में यह बात दोहराई जाती है कि चूंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम 3 (2क) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि चयन ग्रेड में पदोन्नति वरीयता एवं वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए योग्यता के आधार पर नियुक्ति पर ही होता है जिस ग्रेड में पदोन्नतियां वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी तथा अधिकारी उस ग्रेड में केवल उसी तारीख से वेतन भी प्राप्त करेंगे जिससे वे उस ग्रेड में नियुक्त किए जाते हैं ।

5. इस विभाग के दिनांक 31 मार्च, 1987 तथा 6 जुलाई, 1987 के पत्र संख्या 11030/22/87-अ०भा०से०(II) में निहित अनुदेशों को ऊपर निर्दिष्ट की गई सीमा तक अधिक्रमित समझा जाए ।

फार्म-क

भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग पदों में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति, राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के वेतन नियतन संबंधी प्रपत्र ।

1. अधिकारी का नाम

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति/भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग पद में स्थानापन्न रूप से नियुक्ति की तारीख ।

3. भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऐसी नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित पद का पदनाम ।

4. भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति/भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थानापन्न रूप से कार्य करने की तारीख को राज्य सिविल सेवा में वेतनमान तथा आहरित वेतन ।

5. क्या अधिकारी ऊपर कॉलम 4 में उल्लिखित पद पर मूल रूप से अथवा स्थानापन्न रूप से कार्यरत था ?

6. यदि स्थानापन्न रूप से कार्यरत है तो मूल पद क्या था ?

7. मूल पद का वेतन तथा वेतनमान ।

8. भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति से पूर्व, अधिकारी द्वारा धारित सभी पदों के ब्योरे, वेतनमान तथा इन पदों पर आहरित वेतन ।

9. क्या कॉलम 4 तथा 7 में उल्लिखित वेतनमान 1.1.86 से लागू थे ?

10. यदि हां, तो निम्नलिखित के संबंध में महंगाई भत्ता कितना अनुदेय था

    (क) मूल पद

    (ख) स्थानापन्न पद

    (दिनांक 1.1.1986 को लागू महंगाई भत्ते की दर पर न कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति की तारीख/भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थानापन्न रूप से कार्य करने की नियुक्ति की तारीख को लागू महंगाई भत्ते की दरों के संबंध में।)

11. यदि कॉलम 9 का उत्तर नहीं है तो वेतनमान कब से संशोधित किए गए थे तथा संशोधन पूर्व निम्न तथा उच्च वेतनमान क्या थे ?

12. निम्नलिखित में महंगाई भत्ते की विलयित राशि क्या थी ?

    (क) संशोधित निम्न वेतनमान

    (ख) संशोधित उच्च वेतनमान

13. राज्य सिविल सेवा के श्रेणी 1/समूह "क" में की गई सेवा के वर्षों की संख्या ।

14. वेतन के निर्धारण के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव तथा उसके आधार ।

Most Immeditate

No. 18/64/93-FA(UN)

Govt. of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

Department of Personnel & Training

New Delhi

Dated the 23rd March, 1994

To

The Secretaries of all Ministries/Department of the Govt. of India.

Subject : Consolidated instructions relating to foreign assignment of Indian experts–cadre clearance regarding.

Sir,

I an directed to invite attention to the provisions of this Department's instructions contained in letter No. 18/10/91-FA (UN) dated the 20th June, 1991, containing the policy and procedure relating to foreign assignment of Indian experts.

2. The Government has taken note of several instances where officers applied for posts under the International Organisations soon after their placement under the Govt. of India and felt that this tendency needed to be discouraged. It has also been felt that officers coming on Central deputation complete a reasonable period of service in their assignments under the Govt. of India before they could be permitted to go on foreign assignments. It has, therefore, been decided that cadre clearance may not be given in respect of officers serving in a post under Central Staffing Scheme unless the officer has put in a minimum of two years of service since his appointment to that post.

3. All the Ministries/Departments are therefore, requested to satisfy themselves on the above criteria before according cadre clearance to an officer/expert for a foreign assignment. It is also requested that contents of this letter may please be brought to the notice of all concerned.

4. The date from which an officer is serving at the centre may also please be sent to this Department to process the cases of foreign assignments of each individual.

Yours faithfully

(J. M. Phatak)

Director

No. 18/64/93-FA(UN) Dated the 23rd March, 1994

Copy for information and guidance to :—

1. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi

2. Controller General of Defence Accounts, New Delhi

3. Secretary, UPSC, New Delhi

4. Lok Sabha/Rajya Sabha Sectt., New Delhi.

5. Prime Minister's Office

6. All Attached and Subordinate offices of the Ministry of Personnel & Public Grievances & Pensions.

7. All officers/Sections of the Department of Pers. & Trg.

8. Chief Secretaries of all State Govts./U.Ts.

(J. M. Phatak)

Director

संख्या 18/64/93-एफ० ए० (यू० एन)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च, 1994

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।

विषय :- भारतीय विशेषज्ञों की विदेश नियुक्ति से संबंधित समेकित अनुदेश–संवर्ग अनापत्ति के सबंध में ।

महोदय,

मुझे, दिनांक 20 जून, 1991 के पत्र संख्या 18/10/91-एफ० ए० (यू० एन०) में इस विभाग के अनुदेशों के उपबन्धों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें भारतीय विशेषज्ञों की विदेश नियुक्ति से संबंधित नीति तथा क्रियाविधि दी गई है ।

2. सरकार के ध्यान में ऐसे कई दृष्टांत आए हैं जहां अधिकारियों ने भारत सरकार के अधीन अपने स्थानन के तत्काल बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधीन पदों के लिए आवेदन दिए हैं तथा यह महसूस किया है कि इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है । यह भी महसूस किया गया है कि केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी को विदेश नियुक्ति पर जाने की अनुमति दिए जाने से पूर्व भारत सरकार के अधीन अपनी नियुक्तियों में सेवा की एक औचित्यपूर्ण अवधि पूरी करनी चाहिए । अतः यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अधीन किसी पद पर सेवारत अधिकारियों के मामले में संवर्ग अनापत्ति तब तक न दी जाए जब तक कि अधिकारी ने उस पद पर अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी न कर ली हो ।

3. अतः सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे विदेश नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी/विशेषज्ञ को संवर्ग अनापत्ति देने से पहले उपर्युक्त मानदंड के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लें । यह भी अनुरोध है कि इस पत्र की विषय-वस्तु संबंधित व्यक्तियों की जानकारी में ला दी जाए ।

4. कृपया जिस तारीख से अधिकारी केन्द्र में सेवारत है वह तारीख इस विभाग को सूचित की जाए ताकि प्रत्येक संबंधित अधिकारी की विदेश नियुक्ति के मामले पर कार्यवाही की जा सके ।

भवदीय,

(जे० एम० फाटक)

निदेशक

सं० 18/64/93-एफ० ए० (यू० एन०) नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च, 1994

प्रतिलिपि सूचनार्थ व मार्ग निर्देशन के लिए निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।

2. रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली ।

3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।

4. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।

5. प्रधान मंत्री का कार्यालय ।

6. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।

7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।

8. सभी राज्य सरकारों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

(जे० एम० फाटक)

निदेशक

F. No. 14015/29/93-AIS (I)

Deparement of Personnel &Training

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

New Delhi, the 6th Dec., 1993

8th Dec., 1993

To

Subject :- IAS/IPS (Appointment by Promotion) Regulations–Clarification-Effect of amendment dated 18.8.1993 on existing select lists.

I am directed to say that IAS/IPS/IFS (Appointment by Promotion) Regulations were amended vide this Departmen's Notifications No. 14015/32/91- AIS (I) AB & C dated 18.8.93 to provide that the name of an officer included in the List, prepared by the Selection Committee, shall be treated as provisional if the State Government withholds the Integrity Certificate in respect of such an officer or any proceedings, departmental or criminal, pending aganist him or any thing adverse against him which renders him unsuitable for appointment to the service has come to the notice of the State Government. It was also provided that proceedings shall be treated as pending only if a charge-sheet has actually been 'issued' to the officer or filed in a Court of Law as the case may be. After regulation 7 (3) of the Promotion Regulations, a proviso was inserted vide Notification No. 14015/32/91- AIS (I) dated 18.8.1993 to provide that if an officer who was included in the Select List and after such inclusion is issued with a charge sheet or a charge sheet is filed against him in a Court of Law, his name in the Select List shall by deemed to be provisional.

2. Clarification has been sought whether the proviso inserted below regulation 7 (3) vide Notification No 14015/32/91- AIS dated 18.8.1993 would be applicable to the existing Select Lists i.e. whether an officer whose name has been included in the existing select list unconditionally is served with a charge-sheet, his name would be deemed to have been included in the Select List provisionally, as per the proviso to Regulation 7(3) inserted vide amendment dated 18.8.93 or whether the existing select list would be governed by pre-amended regulations. The matter has been considered carefully and it is

clarified that the amendment dated 18.8.1993 has come into effect from the date of its publication, which is also 18.8.1993 and the select lists in force on that date would be regulated by the amended Promotion Regulations. In case of officers whose name has been included in the select List, in force, is served with a charge sheet or is filed against him in a Court of Law in criminal proceedings, his name in the Select List would be deemed to be Provisional as per amended regulations. The appointment of such officer will be regulated by the 2nd proviso to regulation 9 (1) of the Promotion Regulations as amended vide Notification No. 14015/32/91-AIS (I) dated- 18.8.1993.

Yours faithfully,

Sd/-

(M.N. Vidyashankar)

Deputy Secretary to the Govt. of India.

F. No. 14015/29/93-AIS (I)

New Delhi, the 6th Dec. 1993

8th December, 1993

Copy to

1. The Secretary, Union Public Service Commission, (Shri S Rajagopal, Joint Secretary), Dholpur House, New Delhi.

2. Shri V. K. Pepersenia, Deputy Secretary (Police), MHA, New Delhi.

3. Shri S. Jha, Deputy Secretary (Forest), Ministry of Environment & Forest New Delhi.

4. Shri G. L. Bhat, Director (CPS), Ministry of Home Affairs, New Delhi

Sd/ -

(M.N. Vidyashankar)

Deputy Secretary to the Govt. of India

Copy to US (S.II) AIS. III for manual.

20 spare Copies

No. 20011/12/92-AIS (II)

Government of India

Ministry of Personnel, P.G. & Pensions

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 8 October, 1993.

8 Nov. 1993

To,

The Chief Secretaries of all the State Governments.

Subject : Promotion of All India Service officers against whom disciplinary/criminal proceedings are pending–procedure to be followed.

Sir,

I am directed to say that instructions in regard to the procedure for promotions or confirmation to be followed, in respect of the members of the All India Services who are under suspension, or against whom disciplinary/criminal proceedings are pending or contemplated, have been issued from time to time. In this respect, attention is especially invited to this Department's letters No. 6/3/72-AIS (III) dated 24th July, 1975, No. 11030/20/75-AIS (II) date 27th December, 1975 and No. 11030/22/87-AIS (II) dated 7th September, 1987. The Government of India have reviewed these instructions carefully and have also taken note of the judgement dated 27th August, 1991 of the Supreme Court in the matter of Union of India etc. Vs. K V. Jankiraman, etc. (AIR 1991-SC 2010). As a result of the review and in supersession of earlier instructions on this subject, the procedure to be followed in respect of members of All India Services in such cases will be as follows hereafter :-

2. Confirmation in the Service : Rule 3 of the IAS (Probation) Rules, 1954, and analogous rules for the IPS and IFS lays down the period of probation of persons appointed to the IAS through different sources of Recruitment. Rule 3. A *ibid* provides that a

probationer who has completed his period of probation to the satisfaction of the Central Government, shall be confirmed in the service at the end of this period of probation. A probationer who is under suspension or against whom disciplinary proceedings have been instituted or against whom a criminal case is pending in a court cannot be considered to have completed the period of probation to the satisfaction of the Central Government and as such, he canot be confirmed in service before such proceedings are dropped or concluded in his favour.

3. Promotion of officers to the various scales/grade and pay : At the time of consideration of the cases of officers for promotion, details of such officers in the zone of consideration falling under the following categories should be specifically brought to the notice of the concerned screening committee.

(i) Government servants under suspension;

(ii) Government servants in respect of whom a charge-sheet has been issued and disciplinary proceedings are pending ; and

(iii) Government servants in respect of whom prosecution for criminal charge is pending.

4. The Screening Committee shall assess the suitability of the officers coming within the purview of the circumstance as mentioned in para 3 above, along with other eligible candidates, without taking into consideration the disciplinary case/criminal prosecution which is pending. The assessment of the Screening Committee including 'Unfit for Promotion" and the grading awarded by it will be kept in a sealed cover. The cover will be superscribed "FINDINGS REGARDING THE SUITABILITY FOR PROMOTION TO THE SCALE/ GRADE OF .... IN RESPECT OF SHRI ..... (name of the officer)."NOT TO BE OPENED TILL THE TERMINATION OF THE DISCIPLINARY CASE/CRIMINAL PROSECUTION AGAINST SHRI ...." The proceedings of the Screening Committee need only contain the note "The findings are contained in the attached Sealed Cover".

5. The same procedure outlined in para 4 above will be adopted by the subsequent Screening Committees convened till the disciplinary case/criminal prosecution against the officer concerned is concluded.

6. On the conclusion of the disciplinary case/criminal prosecution, the sealed cover

or covers shall be opened. In case the officer is completely exonereted, the due date of his promotion will be determined with reference to the findings of the screening committee kept in the sealed cover/covers and with reference to the date of promotion of his next junior on the basis of such findings. The Government servant may be promoted, if necessary, by reverting the junior-most officiating person. He may be promoted notionally with reference to the date of promotion of his junior.

In the cases of complete exoneration, the officer will also be paid arrears of salaries and allowances. In other cases, the question of arrears will be decided by the Central Government by taking into consideration all the facts and circumstances of the disciplinary/criminal proceedings, but where the government denies arrears of salary or a part of it, the reasons for doing so shall be recorded.

7. If any penalty is imposed on the Government servant as a result of the disciplinary proceedings or if he is found guilty in the criminal prosecution against him, the findings of the sealed cover/covers shall not be acted upon. His case for promotion may be considered by the next screening committee in the normal course and having regard to the penalty imposed on him.

8. It is necessary to ensure that the disciplinary case/ criminal prosecution instituted against any officer is not unduly prolonged and all efforts to finalise expeditiously the proceedings should be taken so that the need for keeping the cases of officers in a sealed cover is limited to the barest minimum. It has, therefore, been decided that the appointing authorities concerned should review comprehensively the cases of Government servants, whose suitability for promotion to a higher grade has been kept in a sealed cover on the expiry of 6 months from the date of convening of the first Screening Committee which had adjudged his suitability and kept its findings in the sealed cover. Such a review should be done subsequently also every six months. The review should, *inter alia*, cover the progress made in the disciplinary proceedings/criminial prosecution and further measures to be taken to expedite their completion.

9. An officer who is recommended for promotion by the Screening Committee but in whose case any of the circumstances mentioned in para 3 above arise after the recommendations of the Screening Committee are received but before he is actually promoted, will be considered as if his case had been placed in a sealed cover by the Screening Committee. All the subsequent committees shall assess the suitability of such officers

along with other eligible candidates and place their assessments in a "sealed cover." The sealed cover(s) will be opened on conclusion of the disciplinary case/criminal prosecution. In case the officer is completely exonerated, he would be promoted as per the procedure outlined in pare 6 above and the question of grant of arrears would also be decided accordingly. If any penalty is imposed upon him, as a result of the disciplinary proceedings or if he is found guilty in the criminal prosecution against him the findings of the sealed cover in his case shall not be acted upon.

Yours faithfully,

(M. K. Roy)

Director (s).

Copies to :—

1. Ministry of Home Affairs (IPS Section)
2. Ministry of Environment & Forests, CGO Complex, New Delhi
3. Ministry of Home Affairs (UT Section)
4. Accountants General of all the State Governments.
5. All Ministries/Departments of the Government of India.

(M. K. Roy)

Director (s).

15/3/93 Trg. II

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

(भारत सरकार)

मंसूरी-248179

Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration

[Government of India]

Mussoore : 248179

June 25/29 1993

To,

The Chief Secretary,

Government of Bihar

Patna-800 015

Subject : Change of cadre of probationers–consequent extension of training–Reg.

Sir,

As you are aware, the two year probationary training of IAS probationers includes one year training in the State and one year in the Academy, in a sandwich pattern. While training in the Academy is largely broad-based, with some amount of state specificity, the training in the district is highly State specific. The States have constantly been taking great pains to improve the nature and content of the 52 week field training.

There are some probationers whose cadres are changed on account of marriage or Court/CAT intervention. Such probationers fail to draw full benefit from the carefully designed 52 week field training, when they change their cadre after reporting to a particular State.

Upon completion of the 52 week field training, the probationers come to the Academy for the IAS Professional Course Phase-II training. The Phase-II traininig is highly structured and depends intensively on the knowledge and experience gained by the probationers during the 52 week field training. This Phase-II training aims at equiping the

officers with knowlegde, skills, and attitudes necessary for making them perform effectively in positions that they would hold in the first 6 to 8 year of their career. These positions include those of SDO, Project Director of DRDA/ITDP, Additional Collector, and so on.

Such being the case, we find that a probationer, who has changed his/her cadre/state of training during the 52 week field training, should not be allowed to join the Phase-II Course. He/She should continue to undergo field training in the new cadre/state and join the Phase-II Course along with the succeeding batches. Accordingly, we have not been admitting such probationers in the Phase-II Course since past some years. We propose to continue with this policy in future as well.

This position may please be kept in view while accepting a probationer into your cadre upon his/her change of cadre.

Yours faithfully,

(N. C. Saxena)

Director

संख्या 11030/1/93 अ०भा०से० (II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5-5-93

सेवा में,

मुख्य सचिव,

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

पटना ।

विषय :- भारत सरकार में प्रतिनियुक्त 1976 बैच के पदाधिकारियों को प्रोफार्मा प्रमोशन देने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर राज्य सरकार के पत्र संख्या 1/सी-06/92/2402, दिनांक 5 मार्च, 1993 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "नेक्सट बिलो रूल" अधिसमय वेतनमान में भी लागू होता है तथा अधिकारियों को इस वेतनमान में प्रोफार्मा प्रमोशन की शर्तें पूरी करने पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए भी यह लाभ मिलता है । परंतु अ०भा० से० (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम 5(5) (ख) के अंतर्गत उन्हें इसका वास्तविक लाभ केवल उनके केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर ही मिलेगा जब से राज्य सरकार के अधीन अधिसमय वेतनमान के किसी पद को ग्रहण करेंगे ।

भवदीय,

(एम० के० राय)

निदेशक (सेवाएं)

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 3 May, 1993.

NOTIFICATION

..... In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules, further to amend the All India Service (Leave) Rules, 1955, namely :-

1. (1) These rules, may be called the All India Services (Leave) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. For rule 11 of the All India Services (Leave) Rules, 1955, the following rule shall be substituted, namely :-

"11. Maximum leave admissible at a time–Subject to the provisions of rule 9, the maximum earned leave that can be granted to a member of the service at a time shall be 180 days :

Provided that earned leave granted as preparatory to retirement shall be subject to a maximum of 240 days."

Sd/- (Chander Prakash)

Under Secretary to the Govt. of India.

Note :- Principal rule notified vide Notification No. 5/2/53-AIS (II) dated 12.9.1955, published in Gazette of India dated 17.9.1955 under G.S. R. No. 1979, subsequently amended by :-

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-1/एल-115/95 का० 12208 पटना-15, दिनांक 30 दिसम्बर, 1995

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/बिहार संवर्ग के सभी भा०प्र०से० के पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-बी० के० करण

सरकार के अपर सचिव ।

Sl. No.	Notification No.	Date	G.S.R. No.	Date of Publication
1.	14/9/66-AIS (III)	19.10.66	1633	19.10.1966
2.	14/2/68-AIS (III)	05.09.68	1562	14.9.1968
3.	7/1/73-AIS (III) A	02.01.75	39	18.1.1975
4.	1/9/74-AIS (III)	10.06.75	754	21.06.1975
5.	11019/5/76-AIS (III)	20.6.1977	815	25.6.1977
5.	11019/7/76-AIS (III)	20.06.77	816	15.06.1977
7.	25011/46/76-AIS (III)B	28.3.78	451	08.04.1978
8.	11019/9/76-AIS (III)	17.7.76	1109	31.7.1976
9.	11019/13/77-AIS (III)	01.07.1977	431(E)	01.07.1977
10.	11019/3/1977-AIS (III)	28.6.1978	894	15.07.1978
11.	11019/14/1978-AIS (III)	27.01.1979	190	10.02.1979
12.	25011/34/77-AIS (III)B	12.2.78	254	18.02.1978
13.	11019/40/77-AIS (III)	22.02.79	366	10.03.1979
14.	11019/5/78-AIS (III)	19.04.1980	475	03.05.1980
15.	11019/17/79-AIS (III)	28.09.80	950	29.09.1980
16.	11019/25/80-AIS (III)	04.11.82	931	20.11.1982
17.	11019/24/81-AIS (III)	13.04.83	338	30.04.1983
18.	11019/25/84-AIS (III)	03.02.84	143	18.02.1984
19.	11019/10/84-AIS (III)	15.11.85	1111	30.11.1985
20.	11019/16/85-AIS (III)	26.5.86	411	07.06.1986
21.	11019/10/86-AIS (III)	14.5.87	406	30.5.1987
22.	11019/11/88-AIS (III)	29.03.1989	397(E)	29.3.1989
23.	11019/4/88-AIS (III)	08.01.90	45	27.01.1990
24.	11019/6/90-AIS (III)	11.04.91		
25.	11019/2/90-AIS (III)	06.02.92	94(E)	11.2.1992

Sd/- (Chander Prakash)
Under Secretary to the Govt. of India.

To,

The Manager,
Govt. of India Press,
Ring Road, Mayapuri,
New Delhi

फार्म-क

भारतीय प्रशासनिक सेवा के संवर्ग पदों में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति, राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के वेतन नियतन संबंधी प्रपत्र ।

1. अधिकारी का नाम

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति/भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग पद में स्थानापन्न रूप से नियुक्ति की तारीख ।

3. भारतीय प्रशासनिक सेवा में ऐसी नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारित पद का पदनाम ।

4. भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति/भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थानापन्न रूप से कार्य करने की तारीख को राज्य सिविल सेवा में वेतनमान तथा आहरित वेतन ।

5. क्या अधिकारी ऊपर कॉलम 4 में उल्लिखित पद पर मूल रूप से अथवा स्थानापन्न रूप से कार्यरत था ?

6. यदि स्थानापन्न रूप से कार्यरत है तो मूल पद क्या था ?

7. मूल पद का वेतन तथा वेतनमान ।

8. भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति से पूर्व, अधिकारी द्वारा धारित सभी पदों के ब्योरे, वेतनमान तथा इन पदों पर आहरित वेतन ।

9. क्या कॉलम 4 तथा 7 में उल्लिखित वेतनमान 1.1.86 से लागू थे ?

10. यदि हां, तो निम्नलिखित के संबंध में महंगाई भत्ता कितना अनुदेय था

    (क) मूल पद

    (ख) स्थानापन्न पद

    (दिनांक 1.1.1986 को लागू महंगाई भत्ते की दर पर न कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति की तारीख/भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थानापन्न रूप से कार्य करने की नियुक्ति की तारीख को लागू महंगाई भत्ते की दरों के संबंध में।)

11. यदि कॉलम 9 का उत्तर नहीं है तो वेतनमान कब से संशोधित किए गए थे तथा संशोधन पूर्व निम्न तथा उच्च वेतनमान क्या थे ?

12. निम्नलिखित में महंगाई भत्ते की विलयित राशि क्या थी ?

    (क) संशोधित निम्न वेतनमान

    (ख) संशोधित उच्च वेतनमान

13. राज्य सिविल सेवा के श्रेणी 1/समूह "क" में की गई सेवा के वर्षों की संख्या ।

14. वेतन के निर्धारण के लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव तथा उसके आधार ।

Most Immeditate

No. 18/64/93-FA(UN)

Govt. of India

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

Department of Personnel & Training

New Delhi

Dated the 23rd March, 1994

To

The Secretaries of all Ministries/Department of the Govt. of India.

Subject : Consolidated instructions relating to foreign assignment of Indian experts–cadre clearance regarding.

Sir,

I an directed to invite attention to the provisions of this Department's instructions contained in letter No. 18/10/91-FA (UN) dated the 20th June, 1991, containing the policy and procedure relating to foreign assignment of Indian experts.

2. The Government has taken note of several instances where officers applied for posts under the International Organisations soon after their placement under the Govt. of India and felt that this tendency needed to be discouraged. It has also been felt that officers coming on Central deputation complete a reasonable period of service in their assignments under the Govt. of India before they could be permitted to go on foreign assignments. It has, therefore, been decided that cadre clearance may not be given in respect of officers serving in a post under Central Staffing Scheme unless the officer has put in a minimum of two years of service since his appointment to that post.

3. All the Ministries/Departments are therefore, requested to satisfy themselves on the above criteria before according cadre clearance to an officer/expert for a foreign assignment. It is also requested that contents of this letter may please be brought to the notice of all concerned.

4. The date from which an officer is serving at the centre may also please be sent to this Department to process the cases of foreign assignments of each individual.

Yours faithfully

(J. M. Phatak)

Director

No. 18/64/93-FA(UN) Dated the 23rd March, 1994

Copy for information and guidance to :—

1. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi

2. Controller General of Defence Accounts, New Delhi

3. Secretary, UPSC, New Delhi

4. Lok Sabha/Rajya Sabha Sectt., New Delhi.

5. Prime Minister's Office

6. All Attached and Subordinate offices of the Ministry of Personnel & Public Grievances & Pensions.

7. All officers/Sections of the Department of Pers. & Trg.

8. Chief Secretaries of all State Govts./U.Ts.

(J. M. Phatak)

Director

संख्या 18/64/93-एफ० ए० (यू० एन)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च, 1994

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।

विषय :- भारतीय विशेषज्ञों की विदेश नियुक्ति से संबंधित समेकित अनुदेश–संवर्ग अनापत्ति के सबंध में ।

महोदय,

मुझे, दिनांक 20 जून, 1991 के पत्र संख्या 18/10/91-एफ० ए० (यू० एन०) में इस विभाग के अनुदेशों के उपबन्धों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें भारतीय विशेषज्ञों की विदेश नियुक्ति से संबंधित नीति तथा क्रियाविधि दी गई है ।

2. सरकार के ध्यान में ऐसे कई दृष्टांत आए हैं जहां अधिकारियों ने भारत सरकार के अधीन अपने स्थानन के तत्काल बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधीन पदों के लिए आवेदन दिए हैं तथा यह महसूस किया है कि इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है । यह भी महसूस किया गया है कि केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी को विदेश नियुक्ति पर जाने की अनुमति दिए जाने से पूर्व भारत सरकार के अधीन अपनी नियुक्तियों में सेवा की एक औचित्यपूर्ण अवधि पूरी करनी चाहिए। अत: यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अधीन किसी पद पर सेवारत अधिकारियों के मामले में संवर्ग अनापत्ति तब तक न दी जाए जब तक कि अधिकारी ने उस पद पर अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी न कर ली हो ।

3. अत: सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे विदेश नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी/विशेषज्ञ को संवर्ग अनापत्ति देने से पहले उपर्युक्त मानदंड के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लें । यह भी अनुरोध है कि इस पत्र की विषय-वस्तु संबंधित व्यक्तियों की जानकारी में ला दी जाए ।

4. कृपया जिस तारीख से अधिकारी केन्द्र में सेवारत है वह तारीख इस विभाग को सूचित की जाए ताकि प्रत्येक संबंधित अधिकारी की विदेश नियुक्ति के मामले पर कार्यवाही की जा सके ।

भवदीय,

(जे० एम० फाटक)

निदेशक

सं० 18/64/93-एफ० ए० (यू० एन०) नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च, 1994

प्रतिलिपि सूचनार्थ व मार्ग निर्देशन के लिए निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।

2. रक्षा लेखा महानियंत्रक, नई दिल्ली ।

3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।

4. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।

5. प्रधान मंत्री का कार्यालय ।

6. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।

7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग ।

8. सभी राज्य सरकारों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

(जे० एम० फाटक)

निदेशक

F. No. 14015/29/93-AIS (I)

Deparement of Personnel &Training

Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions

New Delhi, the 6th Dec., 1993

8th Dec., 1993

To

Subject :- IAS/IPS (Appointment by Promotion) Regulations–Clarification-Effect of amendment dated 18.8.1993 on existing select lists.

I am directed to say that IAS/IPS/IFS (Appointment by Promotion) Regulations were amended vide this Departmen's Notifications No. 14015/32/91- AIS (I) AB & C dated 18.8.93 to provide that the name of an officer included in the List, prepared by the Selection Committee, shall be treated as provisional if the State Government withholds the Integrity Certificate in respect of such an officer or any proceedings, departmental or criminal, pending aganist him or any thing adverse against him which renders him unsuitable for appointment to the service has come to the notice of the State Government. It was also provided that proceedings shall be treated as pending only if a charge-sheet has actually been 'issued' to the officer or filed in a Court of Law as the case may be. After regulation 7 (3) of the Promotion Regulations, a proviso was inserted vide Notification No. 14015/32/ 91- AIS (I) dated 18.8.1993 to provide that if an officer who was included in the Select List and after such inclusion is issued with a charge sheet or a charge sheet is filed against him in a Court of Law, his name in the Select List shall by deemed to be provisional.

2. Clarification has been sought whether the proviso inserted below regulation 7 (3) vide Notification No 14015/32/91- AIS dated 18.8.1993 would be applicable to the existing Select Lists i.e. whether an officer whose name has been included in the existing select list unconditionally is served with a charge-sheet, his name would be deemed to have been included in the Select List provisionally, as per the proviso to Regulation 7(3) inserted vide amendment dated 18.8.93 or whether the existing select list would be governed by pre-amended regulations. The matter has been considered carefully and it is

clarified that the amendment dated 18.8.1993 has come into effect from the date of its publication, which is also 18.8.1993 and the select lists in force on that date would be regulated by the amended Promotion Regulations. In case of officers whose name has been included in the select List, in force, is served with a charge sheet or is filed against him in a Court of Law in criminal proceedings, his name in the Select List would be deemed to be Provisional as per amended regulations. The appointment of such officer will be regulated by the 2nd proviso to regulation 9 (1) of the Promotion Regulations as amended vide Notification No. 14015/32/91-AIS (I) dated- 18.8.1993.

Yours faithfully,

Sd/-

(M.N. Vidyashankar)

Deputy Secretary to the Govt. of India.

F. No. 14015/29/93-AIS (I)

New Delhi, the 6th Dec. 1993

8th December, 1993

Copy to

1. The Secretary, Union Public Service Commission, (Shri S Rajagopal, Joint Secretary), Dholpur House, New Delhi.

2. Shri V. K. Pepersenia, Deputy Secretary (Police), MHA, New Delhi.

3. Shri S. Jha, Deputy Secretary (Forest), Ministry of Environment & Forest New Delhi.

4. Shri G. L. Bhat, Director (CPS), Ministry of Home Affairs, New Delhi

Sd/ -

(M.N. Vidyashankar)

Deputy Secretary to the Govt. of India

Copy to US (S.II) AIS. III for manual.

20 spare Copies

No. 20011/12/92-AIS (II)

Government of India

Ministry of Personnel, P.G. & Pensions

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 8 October, 1993.

8 Nov. 1993

To,

The Chief Secretaries of all the State Governments.

Subject : Promotion of All India Service officers against whom disciplinary/criminal proceedings are pending--procedure to be followed.

Sir,

I am directed to say that instructions in regard to the procedure for promotions or confirmation to be followed, in respect of the members of the All India Services who are under suspension, or against whom disciplinary/criminal proceedings are pending or contemplated, have been issued from time to time. In this respect, attention is especially invited to this Department's letters No. 6/3/72-AIS (III) dated 24th July, 1975, No. 11030/20/75-AIS (II) date 27th December, 1975 and No. 11030/22/87-AIS (II) dated 7th September, 1987. The Government of India have reviewed these instructions carefully and have also taken note of the judgement dated 27th August, 1991 of the Supreme Court in the matter of Union of India etc. Vs. K V. Jankiraman, etc. (AIR 1991-SC 2010). As a result of the review and in supersession of earlier instructions on this subject, the procedure to be followed in respect of members of All India Services in such cases will be as follows hereafter :-

2. Confirmation in the Service : Rule 3 of the IAS (Probation) Rules, 1954, and analogous rules for the IPS and IFS lays down the period of probation of persons appointed to the IAS through different sources of Recruitment. Rule 3. A *ibid* provides that a

probationer who has completed his period of probation to the satisfaction of the Central Government, shall be confirmed in the service at the end of this period of probation. A probationer who is under suspension or against whom disciplinary proceedings have been instituted or against whom a criminal case is pending in a court cannot be considered to have completed the period of probation to the satisfaction of the Central Government and as such, he canot be confirmed in service before such proceedings are dropped or concluded in his favour.

3. Promotion of officers to the various scales/grade and pay : At the time of consideration of the cases of officers for promotion, details of such officers in the zone of consideration falling under the following categories should be specifically brought to the notice of the concerned screening committee.

(i) Government servants under suspension;

(ii) Government servants in respect of whom a charge-sheet has been issued and disciplinary proceedings are pending ; and

(iii) Government servants in respect of whom prosecution for criminal charge is pending.

4. The Screening Committee shall assess the suitability of the officers coming within the purview of the circumstance as mentioned in para 3 above, along with other eligible candidates, without taking into consideration the disciplinary case/criminal prosecution which is pending. The assessment of the Screening Committee including 'Unfit for Promotion" and the grading awarded by it will be kept in a sealed cover. The cover will be superscribed "FINDINGS REGARDING THE SUITABILITY FOR PROMOTION TO THE SCALE/ GRADE OF .... IN RESPECT OF SHRI ..... (name of the officer)."NOT TO BE OPENED TILL THE TERMINATION OF THE DISCIPLINARY CASE/CRIMINAL PROSECUTION AGAINST SHRI ...." The proceedings of the Screening Committee need only contain the note "The findings are contained in the attached Sealed Cover".

5. The same procedure outlined in para 4 above will be adopted by the subsequent Screening Committees convened till the disciplinary case/criminal prosecution against the officer concerned is concluded.

6. On the conclusion of the disciplinary case/criminal prosecution, the sealed cover

or covers shall be opened. In case the officer is completely exonereted, the due date of his promotion will be determined with reference to the findings of the screening committee kept in the sealed cover/covers and with reference to the date of promotion of his next junior on the basis of such findings. The Government servant may be promoted, if necessary, by reverting the junior-most officiating person. He may be promoted notionally with reference to the date of promotion of his junior.

In the cases of complete exoneration, the officer will also be paid arrears of salaries and allowances. In other cases, the question of arrears will be decided by the Central Government by taking into consideration all the facts and circumstances of the disciplinary/criminal proceedings, but where the government denies arrears of salary or a part of it, the reasons for doing so shall be recorded.

7. If any penalty is imposed on the Government servant as a result of the disciplinary proceedings or if he is found guilty in the criminal prosecution against him, the findings of the sealed cover/covers shall not be acted upon. His case for promotion may be considered by the next screening committee in the normal course and having regard to the penalty imposed on him.

8. It is necessary to ensure that the disciplinary case/ criminal prosecution instituted against any officer is not unduly prolonged and all efforts to finalise expeditiously the proceedings should be taken so that the need for keeping the cases of officers in a sealed cover is limited to the barest minimum. It has, therefore, been decided that the appointing authorities concerned should review comprehensively the cases of Government servants, whose suitability for promotion to a higher grade has been kept in a sealed cover on the expiry of 6 months from the date of convening of the first Screening Committee which had adjudged his suitability and kept its findings in the sealed cover. Such a review should be done subsequently also every six months. The review should, *inter alia*, cover the progress made in the disciplinary proceedings/criminial prosecution and further measures to be taken to expedite their completion.

9. An officer who is recommended for promotion by the Screening Committee but in whose case any of the circumstances mentioned in para 3 above arise after the recommendations of the Screening Committee are received but before he is actually promoted, will be considered as if his case had been placed in a sealed cover by the Screening Committee. All the subsequent committees shall assess the suitability of such officers

along with other eligible candidates and place their assessments in a "sealed cover." The sealed cover(s) will be opened on conclusion of the disciplinary case/criminal prosecution. In case the officer is completely exonerated, he would be promoted as per the procedure outlined in pare 6 above and the question of grant of arrears would also be decided accordingly. If any penalty is imposed upon him, as a result of the disciplinary proceedings or if he is found guilty in the criminal prosecution against him the findings of the sealed cover in his case shall not be acted upon.

Yours faithfully,

(M. K. Roy)

Director (s).

Copies to :—

1. Ministry of Home Affairs (IPS Section)
2. Ministry of Environment & Forests, CGO Complex, New Delhi
3. Ministry of Home Affairs (UT Section)
4. Accountants General of all the State Governments.
5. All Ministries/Departments of the Government of India.

(M. K. Roy)

Director (s).

15/3/93 Trg. II

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

(भारत सरकार)

मंसूरी-248179

Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration

[Government of India]

Mussoore : 248179

June 25/29 1993

To,

The Chief Secretary,

Government of Bihar

Patna-800 015

Subject : Change of cadre of probationers–consequent extension of training–Reg.

Sir,

As you are aware, the two year probationary training of IAS probationers includes one year training in the State and one year in the Academy, in a sandwich pattern. While training in the Academy is largely broad-based, with some amount of state specificity, the training in the district is highly State specific. The States have constantly been taking great pains to improve the nature and content of the 52 week field training.

There are some probationers whose cadres are changed on account of marriage or Court/CAT intervention. Such probationers fail to draw full benefit from the carefully designed 52 week field training, when they change their cadre after reporting to a particular State.

Upon completion of the 52 week field training, the probationers come to the Academy for the IAS Professional Course Phase-II training. The Phase-II traininig is highly structured and depends intensively on the knowledge and experience gained by the probationers during the 52 week field training. This Phase-II training aims at equiping the

officers with knowlegde, skills, and attitudes necessary for making them perform effectively in positions that they would hold in the first 6 to 8 year of their career. These positions include those of SDO, Project Director of DRDA/ITDP, Additional Collector, and so on.

Such being the case, we find that a probationer, who has changed his/her cadre/state of training during the 52 week field training, should not be allowed to join the Phase-II Course. He/She should continue to undergo field training in the new cadre/state and join the Phase-II Course along with the succeeding batches. Accordingly, we have not been admitting such probationers in the Phase-II Course since past some years. We propose to continue with this policy in future as well.

This position may please be kept in view while accepting a probationer into your cadre upon his/her change of cadre.

Yours faithfully,
(N. C. Saxena)
Director

संख्या 11030/1/93 अ०भा०से० (II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5-5-93

सेवा में,

मुख्य सचिव,

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

पटना ।

विषय :- भारत सरकार में प्रतिनियुक्त 1976 बैच के पदाधिकारियों को प्रोफार्मा प्रमोशन देने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर राज्य सरकार के पत्र संख्या 1/सी-06/92/2402, दिनांक 5 मार्च, 1993 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "नेक्सट बिलो रूल" अधिसमय वेतनमान में भी लागू होता है तथा अधिकारियों को इस वेतनमान में प्रोफार्मा प्रमोशन की शर्तें पूरी करने पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए भी यह लाभ मिलता है । परंतु अ०भा० से० (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम 5(5) (ख) के अंतर्गत उन्हें इसका वास्तविक लाभ केवल उनके केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर ही मिलेगा जब से राज्य सरकार के अधीन अधिसमय वेतनमान के किसी पद को ग्रहण करेंगे ।

भवदीय,

(एम० के० राय)

निदेशक (सेवाएं)

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 3 May, 1993.

NOTIFICATION

..... In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules, further to amend the All India Service (Leave) Rules, 1955, namely :-

1. (1) These rules, may be called the All India Services (Leave) Amendment Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. For rule 11 of the All India Services (Leave) Rules, 1955, the following rule shall be substituted, namely :-

"11. Maximum leave admissible at a time–Subject to the provisions of rule 9, the maximum earned leave that can be granted to a member of the service at a time shall be 180 days :

Provided that earned leave granted as preparatory to retirement shall be subject to a maximum of 240 days."

Sd/- (Chander Prakash)

Under Secretary to the Govt. of India.

Note :- Principal rule notified vide Notification No. 5/2/53-AIS (II) dated 12.9.1955, published in Gazette of India dated 17.9.1955 under G.S. R. No. 1979, subsequently amended by :-

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-1/एल-115/95 का० 12208 पटना-15, दिनांक 30 दिसम्बर, 1995

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/बिहार संवर्ग के सभी भा०प्र०से० के पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-बी० के० करण

सरकार के अपर सचिव ।

Sl. No.	Notification No.	Date	G.S.R. No.	Date of Publication
1.	14/9/66-AIS (III)	19.10.66	1633	19.10.1966
2.	14/2/68-AIS (III)	05.09.68	1562	14.9.1968
3.	7/1/73-AIS (III) A	02.01.75	39	18.1.1975
4.	1/9/74-AIS (III)	10.06.75	754	21.06.1975
5.	11019/5/76-AIS (III)	20.6.1977	815	25.6.1977
5.	11019/7/76-AIS (III)	20.06.77	816	15.06.1977
7.	25011/46/76-AIS (III)B	28.3.78	451	08.04.1978
8.	11019/9/76-AIS (III)	17.7.76	1109	31.7.1976
9.	11019/13/77-AIS (III)	01.07.1977	431(E)	01.07.1977
10.	11019/3/1977-AIS (III)	28.6.1978	894	15.07.1978
11.	11019/14/1978-AIS (III)	27.01.1979	190	10.02.1979
12.	25011/34/77-AIS (III)B	12.2.78	254	18.02.1978
13.	11019/40/77-AIS (III)	22.02.79	366	10.03.1979
14.	11019/5/78-AIS (III)	19.04.1980	475	03.05.1980
15.	11019/17/79-AIS (III)	28.09.80	950	29.09.1980
16.	11019/25/80-AIS (III)	04.11.82	931	20.11.1982
17.	11019/24/81-AIS (III)	13.04.83	338	30.04.1983
18.	11019/25/84-AIS (III)	03.02.84	143	18.02.1984
19.	11019/10/84-AIS (III)	15.11.85	1111	30.11.1985
20.	11019/16/85-AIS (III)	26.5.86	411	07.06.1986
21.	11019/10/86-AIS (III)	14.5.87	406	30.5.1987
22.	11019/11/88-AIS (III)	29.03.1989	397(E)	29.3.1989
23.	11019/4/88-AIS (III)	08.01.90	45	27.01.1990
24.	11019/6/90-AIS (III)	11.04.91		
25.	11019/2/90-AIS (III)	06.02.92	94(E)	11.2.1992

Sd/- (Chander Prakash)
Under Secretary to the Govt. of India.

To,

The Manager,
Govt. of India Press,
Ring Road, Mayapuri,
New Delhi

संख्या-18/10/91-एफ० ए० (यू० एन०)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून, 1991

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित राज्यों के मुख्य सचिव ।

विषय : भारतीय विशेषज्ञों की विदेश नियुक्ति से संबंधित समेकित अनुदेश ।

महोदय,

मुझे इस विभाग के दिनांक 29 जनवरी, 1988 के पत्र संख्या-1/10/87-एफ० ए० (यू० एन०) में दिए गए पहले के अनुदेशों तथा इस विषय पर सभी अन्य पत्रों का अधिक्रमण करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि इस पत्र के जारी करने की तारीख से निम्नलिखित संशोधित तथा विस्तृत अनुदेश लागू होंगे :-

2. विदेश नियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति :

भारतीय विशेषज्ञों की विदेश नियुक्ति पर प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की जाएगी :

(क) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अधीन भारत सरकार के विदेशों में पद ।

(ख) एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में द्विपक्षीय नियुक्तियां ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत सरकार के कैपटिव पद जहां भर्ती भारतीय अधिकारियों तक ही सीमित है ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जिसमें संयुक्त राष्ट्र तथा इसकी एजेन्सियों, अन्य बहुराष्ट्रीय संगठनों, तेल समृद्ध तथा विकासशील देशों में सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानों में आने वाली नियुक्तियां शामिल हैं ।

3. भारत सरकार के विदेशों में पद :

इसमें वित्त, वाणिज्य आदि (विदेश मंत्रालय को छोड़कर) के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले, विदेश स्थित भारतीय मिशनों, पर्यटन मंत्रालय, सिविल विमानन तथा अन्य मंत्रालयों के विदेश स्थित कार्यालय, भारतीय निवेश केन्द्र तथा इसी प्रकार के अन्य सार्वजनिक निकायों के अन्तर्गत आने वाले पद शामिल हैं ।

3.1. इन पदों का चयन सिविल सेवा बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार की केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अधीन नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ताकि समान अवसरों तथा चयन प्रक्रिया में ईमानदारी सुनिश्चित की जा सके ।

3.2. पदों पर नियुक्त अधिकारियों को 3 वर्ष की कार्यावधि की अनुमति होगी (तथा यह अवधि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अधीन नियुक्ति के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा के बारे में नहीं गिनी जाएगी) ।

4. विकासशील देशों में द्विपक्षीय नियुक्तियां :

इसमें, भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम तथा इसी प्रकार के कार्यक्रम तथा एशिया पैसीफिक अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के विकासशाल देशों की सरकारों तथा अर्द्ध सरकारी संगठनों में अनुबंध नियुक्तियां तथा उनके वेतनमान के अनुसार संबंधित विकासशील देशों (तेल समृद्ध तथा विकसित राष्ट्रों से भिन्न) द्वारा पारिश्रमिक देने वाली नियुक्तियां शामिल हैं ।

4.1. जहां तक संभव हो सके, द्विपक्षीय नियुक्तियों के लिए स्नातक व्यावसायिक स्तर तथा इसे ऊपर के स्तर की सभी संगठित भर्ती सरकार से सरकार के आधार पर की जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त संबंधित व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके विकासशील देशों की सरकारों तथा अर्द्धसरकारी संगठनों द्वारा दिए गए खुले विज्ञापनों के उत्तर में आवेदन पत्र देकर भी ऐसी नियुक्तियां प्राप्त कर सकते हैं । कभी-कभी विशेषज्ञों द्वारा संगत क्षेत्रों में अपने पिछले कार्य की मान्यता को देखते हुए इन संगठनों से सीधे ही नियुक्ति का प्रस्ताव प्राप्त किए जा सकते हैं ।

4.2. भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन नियुक्ति के लिए चयन विदेश मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित योजना के अनुसार किया जाएगा । सरकार से सरकार के आधार पर तथा अन्य द्विपक्षीय नियुक्तियों पर चयन करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा रखे गए विशेषज्ञों के पैनल का उपयोग किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हुआ तो, उपयुक्त विशेषज्ञों का संबंधित मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से पता लगाया जा सकता है ।

5. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत सरकार के कैपटिव पद

इन नियुक्तियों में, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई० एम० एफ०), एशियन विकास बैंक आदि में कार्यकारी निदेशकों तथा कार्यकारी निदेशकों तथा इसी प्रकार के अन्य पदों, जहां भर्ती भारतीय विशेषज्ञों के लिए ही सीमित है, के सलाहकारों तथा तकनीकी अथवा कार्यकारी सहायकों के पद शामिल हैं ।

5.1. इन पदों पर चयन, भारत सरकार की केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अधीन नियुक्ति को लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा । किन्तु, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में इन अधिकारियों की कार्यावधि अन्तर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के लिए कार्यावधि की अधिकतम सीमा से संबंधित उपबंधों के अध्यधीन होगी, प्रतीक्षा अवधि (कूलिंग ऑफ पीरियड) आदि आगामी पैराग्राफ में निर्धारित किए गए हैं ।

6. अन्तर्राष्ट्रीय नियुक्तियां :

इस श्रेणी की नियुक्तियों में संयुक्त राष्ट्र तथा इसकी विशिष्ट एजेन्सियां, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, तकनीकी सहयोग (सी०एफ०टी०सी०) राष्ट्रमण्डल निधि सहित राष्ट्रमण्डल सचिवालय तथा अन्य बहुराष्ट्रीय लोक संस्थाओं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन आते हैं । इस श्रेणी की नियुक्तियों में सरकारों, अर्द्ध सरकारी संगठनों तथा सार्वजनिक संस्थाओं जैसे कि विश्वविद्यालयों, तेल-समृद्ध तथा विकसित देशों में अनुसंधान तथा शैक्षिक संस्थाओं में नियुक्तियां भी शामिल हैं ।

6.1. अन्तर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में चयन प्रक्रिया, कार्यावधि, समयसीमा, प्रतीक्षा अवधि आदि सहित नियुक्ति संबंधित शर्तें निम्नलिखित पैराग्राफ में बताई गई हैं । जहां कहीं इन शर्तों में से कुछ शर्तें विदेश नियुक्ति की अन्य श्रेणियों पर भी लागू होती हैं तो उन्हें उपयुक्त स्थान पर निर्दिष्ट किया गया हैं ।

7. अन्तर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का स्वरूप :

अन्तर्राष्ट्रीय नियुक्यिों को स्थान तथा अवधि के अनुरूप वर्गीकृत किया जाए । जहां तक स्थान का संबंध है (I) ये वे पद हैं जो किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के सचिवालय अथवा मुख्यालय में हैं जो देश के कोटे के प्रतिबंधों के अध्यधीन हैं । इसमें प्रमुख अथवा अत्यधिक महत्व के पद शामिल हो सकते हैं जिन पर सरकार अपने द्वारा नामित अधिकारियों को रखना चाहेगी । विशिष्ट रिक्ति के मामले में सरकार अत्यधिक उपयुक्त उम्मीदवार को नामित करना चाहेगी जिस पद पर इसकी दृष्टि में अन्तिम रूप से चयन होने का अच्छा अवसर है । (II) तथापि अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय नियुक्तियां अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के तत्वावधान में विकासशील देशों में संचालित परियोजना से संबंधित फील्ड नौकरियाँ हैं । ये आमतौर पर व्यावसायिक नौकरियां होती हैं तथा आमतौर पर अन्तिम चयन मेजबान देश द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी के परामर्श से किया जाता है । इन नियुक्तियों को शासित करने के लिए कोई कोटा पद्धति नहीं है, परन्तु उम्मीदवारों की कई स्तरों पर परख की जाती है । चयन व्यावसायिक अर्हताओं तथा अनुभव के आधार पर किया जाता है । अत: सरकार विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के आवेदन करने तथा उदार दृष्टिकोण अपना कर इन नौकरियों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगी ।

7.1. अवधि की दृष्टि से इन नियुक्तियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है –(क) दीर्घकालीन अवधि की नौकरियाँ जो कि तीन मास (90 दिन) से अधिक की अवधि की हैं, (ख) कम अवधि की परामर्शदायी नौकरियां जिनकी कार्यावधि तीन माह (90 दिन) की अथवा इससे कम अवधि की है ।

8. चयन प्रक्रियाएं तथा उससे संबंधित मामले :

किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी करने की अनुमति देने का मुख्य मापदण्ड, उसके सेवा संवर्ग के प्रबन्ध तथा लोक सेवा की अपेक्षा को देखते हुए कार्यमुक्त करने में सरकार को सुविधा होगी ।

8.1. इस सम्पूर्ण शर्त के अध्यधीन सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी एक के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं :-

(i) सरकार द्वारा नामांकन;

(ii) अपने पहले के कार्य के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठन/विदेशी सरकार से सीधे नियुक्ति प्रस्ताव;

(iii) निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए खुले विज्ञापन के जवाब में दिया गया आवेदन पत्र; तथा

(iv) किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रोस्टर से उम्मीदवार लेकर ।

8.2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग विभिन्न सेवा संवर्गों का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों तथा विदेशी सरकारों के अधीन पदों पर सरकारी कर्मचारियों के नामांकन, चयन तथा नियुक्ति से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर कार्यवाही करेगी । प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी का कार्य किसी न किसी नोडल मंत्रालय द्वारा देखा जाता है । उदाहरण के लिए श्रम मंत्रालय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई० एल०ओ०) का कार्य देखता है, स्वास्थ्य मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू० एच० ओ०) संबंधी कार्य देखता है तथा इस प्रकार अन्य मंत्रालय ।

8.3. सरकार द्वारा नामांकन : सरकार अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों अथवा विदेशी सरकारों के अधीन पदों के लिए उपयुक्त और अर्हक अधिकारियों को निम्नलिखित किन्हीं हालतों में नामांकित कर सकती है :-

(क) रिक्ति संबंधी नोटिस अथवा आवेदन सरकार द्वारा (नॉडल मंत्रालय और/अथवा कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) द्वारा प्राप्त किए जाते हैं;

(ख) संभावित रिक्तियों से संबंधित सूचना और पदों के ब्योरे भारतीय विदेशी दूतावासों, अलग-अलग अधिकारियों तथा अन्य स्रोतों जिनमें खुले विज्ञापन भी शामिल हैं, द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं और सरकार उम्मीदवार नामांकित करने पर निर्णय लेती है; तथा

(ग) नॉडल मंत्रालय/कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग नामांकन करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मुख्य अथवा महत्वपूर्ण पदों की पहचान करता है ।

8.4. सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह उन सभी पदों पर नामांकन करे जिनके लिए समय पर सूचना अथवा रिक्ति नोटिस प्राप्त होते हैं । नॉडल मंत्रालय/कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ऐसी किसी विशेष रिक्ति/रिक्तियों के बारे में निर्णय ले सकता है जिसके लिए सरकार उक्त पद/पदों के स्वरूप तथा महत्व को, देश में उपलब्ध विशेषज्ञता तथा अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकारी नामित कर सकती है तथापि जब किसी अधिकारी को किसी विशेष अन्तर्राष्ट्रीय नियुक्ति के लिए नामित किया जाता है तो उसे "सरकारी मनोनीत व्यक्ति" के रूप में समझा जाएगा और सरकार ऐसे उम्मीदवार के समर्थन के लिए अपने उपलब्ध संसाधनों, जिनमें राजनयिक चैनल भी शामिल है, का उपयोग कर सकेती है ।

8.5. नामांकन के लिए उच्च कोटि के तथा बहुत ही उपयुक्त उम्मीदवार/उम्मीदवारों की पहचान के लिए व्यापक आधार वाले चयन-क्रियाविधि को अपनाया जाएगा । जब नॉडल मंत्रालय को ऐसी किसी रिक्ति की नोटिस अथवा पदों के ब्यौरे प्राप्त होते हैं जिसके लिए भारतीय विशेषज्ञों को नामित करने का निर्णय लिया जाता है, तो वह उसे तत्काल भारत सरकार के सभी संबंधित विभागों तथा एजेंसियों और साथ ही राज्य सरकारों में, उनसे उपयुक्त नामांकन आमंत्रित करते हुए परिचालित करेगा । उक्त रिक्ति परिपत्र अथवा नोटिस जिसमें पद के ब्यौरे दिए गए हैं, की एक प्रति कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (विदेश नियुक्ति अनुभाग) को भी पृष्ठांकित की जानी चाहिए जिससे यह विभाग उसके द्वारा रखे गए विशेषज्ञों के पैनल में से/अथवा उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठित सेवा के सदस्यों, जिसमें केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर आए सदस्य भी शामिल हैं, में से उम्मीदवार का सुझाव देगा ।

8.6. नॉडल मंत्रालय निम्नलिखित के लिए नामांकनों को अन्तिम रूप देंगे–(i) किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के सचिवालय अथवा मुख्यालय में पी-4 स्तर तक के पद और (ii) परियोजना से सम्बद्ध फील्ड (क्षेत्रीय) नौकरियों में पी-5 स्तर तक के पद । इस कार्य में नॉडल मंत्रालय की एक विदेश नियुक्ति चयन समिति द्वारा सहायता की जाएगी, जो प्राप्त हुए आदेदनों की जांच करेगी और साथ ही कोई नाम अथवा नामों के पैनल का सुझाव देगी । प्रत्येक मॉडल मंत्रालय की विदेश नियुक्ति चयन समिति में अन्य अधिकारियों के साथ-साथ उस मंत्रालय का प्रतिनिधि तथा भारत सरकार के स्थापना अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि शामिल होगा । नॉडल मंत्रालय अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी को नाम (नामों) भेजने से पहले संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों से संवर्गीय अनापत्ति पत्र प्राप्त करेंगे । यदि कोई अधिकारी ऐसे किसी पद पर काम कर रहा हो जो केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत आता हो तो उस स्थिति में भारत सरकार के स्थापना अधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त करनी होगी ।

8.7. निम्नलिखित से संबंधित आवेदन-पत्र अथवा नामांकन संबंधित नॉडल मंत्रालय द्वारा कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) को भेजे जाने चाहिए :-

(क) किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के सचिवालय में पी-5 स्तर तथा उससे ऊपर के स्तर के पद; और

(ख) पी-7 स्तर के ऊपर के अन्य सभी पद;

यह विभाग इन आवेदनों की जांच करेगा और उन्हें अन्तिम चयन के लिए सिविल सर्विस बोर्ड (सी० एस०बी०)/मंत्रिमंडल सचिव को प्रस्तुत करेगा । उसके बाद वे नामांकन संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को भेजे जाएंगे ।

8.8. नॉडल मंत्रालय के अतिरिक्त, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, जब कभी किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी में नामांकन करने के लिए बहुत ही थोड़ा समय हो अथवा किन्हीं अन्य विशेष हालतों में, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों से आवेदन पत्र/नामांकन प्राप्त कर सकता है और सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से उपयुक्त सिफारिशें भी कर सकता है ।

8.9. सरकार किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की रिक्ति के लिए प्रत्येक मामले के हालातों के अनुसार, किसी अधिकारी को नामित कर सकती है अथवा नामों की एक पैनल भेज सकती है । फिर भी जिन रिक्तियों को–(क) मुख्य तथा महत्वपूर्ण पद और (ख) ऐसे पद जिन्हें अत्यधिक महत्व के पद समझा जाता है; उनके संबंध में सरकार

नामों का एक पैनल भेजने के बजाय उच्च कोटि के उपलब्ध उम्मीदवार को नामित करेगी (क्योंकि उसे अन्य देशों के नागरिकों के साथ प्रतियोगिता में शामिल होना होता है) चूंकि इसका लक्ष्य भारतीय विशेषज्ञों के लिए कोई महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय नियुक्ति पाना है अत: सभी अर्हक अधिकारियों, जिनमें वे भी शामिल हैं जो पहले विदेश नियुक्ति पर रह चुके हैं, के नामांकन पर विचार किया जाएगा परन्तु शर्त यह है कि जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय नियुक्ति पर अधिकतम निर्धारित समय पूरा कर लिया है, उन्हें इस किस्म की नियुक्ति के लिए चयन हो जाने पर, या तो सरकारी सेवा से त्याग पत्र देना होगा/या सेवानिवृत्ति लेनी पड़ेगी ।

8.10. सीधे नियुक्ति प्रस्ताव : यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके पिछले कार्य अथवा विशेषज्ञता के कारण किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी से अथवा मित्र विदेशी सरकार से सीधे ही कोई नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में उस अधिकारी को ऐसे नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी तथा कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से संवर्गीय अनापत्ति लेनी पड़ेगी ।

8.11. खुले विज्ञापन के लिए आवेदन :

सरकारी कर्मचारी, किन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा विदेशी सरकारों द्वारा दिए गए रिक्तियों के खुले अथवा सरकारी विज्ञापन के उत्तर में संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की पूर्वानुमति से आवेदन कर सकता है । असाधारण मामलों में, जब आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय थोड़ा ही हो, कोई अधिकारी संबंधित एजेंसी को अग्रिम प्रति दे सकता है और इसकी एक प्रति अपने संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी को भेज सकता है और संबंधित प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बाद में इसकी पुष्टि की जा सकती है अथवा इसे वापस लिया जा सकता है । संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी प्रत्येक मामले पर इस बात को ध्यान में रखकर विचार करेगा कि क्या संबंधित अधिकारी को कार्यमुक्त किया जा सकता है अथवा नहीं; मामले में निर्णय करने के लिए अन्य किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा । किसी अधिकारी को उस स्थिति में भी किसी सरकारी विज्ञापन के उत्तर में आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है जबकि उसने अपने कैरियर में उतने वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय नियुक्ति पर पूरे कर लिए हैं जितने की उसे अनुमति मिली हो; फिर भी ऐसे किसी मामले में संबंधित अधिकारी को चयन हो जाने पर सरकारी सेवा से त्यागपत्र देना होगा या सेवानिवृत्ति लेनी होगी । यदि कोई कर्मचारी सरकारी विज्ञापन के उत्तर में किसी अन्तर्राष्ट्रीय नियुक्ति के लिए, आवेदन कर रहा हो तो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए 'सरकारी नामांकित व्यक्ति' का स्तर नहीं दिया जाएगा । अनुमति दिए जाने अथवा अस्वीकार कर दिए जाने के संबंध में संबंधित अधिकारी तथा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी/सरकार के बीच ही पत्र व्यवहार होगा और संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी/सरकार इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से पत्र व्यवहार नहीं करेगी ।

8.12. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा रखे गए रोस्टरों में पंजीकरण : सरकारी कर्मचारी अपने आवेदन सीधे संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण को भेजकर और इसकी सूचना अपने संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों तथा संगत नॉडल मंत्रालयों को देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा रखे गए रोस्टरों में अपने नाम पंजीकृत करा सकते हैं । संवर्ग अनापत्ति तभी ली जाएगी जब अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण नियुक्ति विशेष के लिए अधिकारी की उपलब्धता की जांच करता है । अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा परिचालित रिक्तियों के संबंध में जवाब देने में लगनेवाले समय को कम करने के लिए नॉडल मंत्रालय विशेषज्ञों का पैनल भी बना सकते हैं ।

8.13. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विदेश नियुक्ति के पैनल : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने भारतीय विशेषज्ञों के 2 डैटा बैंक बनाए हुए हैं जिनमें (i) द्विपक्षीय नियुक्तियों का पैनल जिसमें भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के अन्तर्गत आने वाले तथा इसी प्रकार के कार्यक्रम शामिल हैं (ii) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में रुचि रखने वाले विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सूची सम्मिलित है । द्विपक्षीय नियुक्तियों के लिए नामिका में पंजीकरण के लिए आवेदन सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार की सेवा करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों से निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाते हैं और ऐसे आवेदन पत्र भारत सरकार के प्रकाशन प्रभाग के बिक्री केन्द्रों में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं । प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई की जाती है तथा आंकड़े कम्प्यूटर में रखे जाते हैं । विशेषज्ञों का पंजीकरण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में वैध आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की तारीख के आधार पर वरिष्ठता क्रम में किया जाता है तथा नामांकन कड़ाई से वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के क्रम में किए जाते हैं। पंजीकरण तीन वर्ष की अवधि तक वैध रहता है । पंजीकरण के लिए आवेदन अनिवार्यत: उपयुक्त माध्यम से भेजे जाने चाहिए तथा भेजने वाले प्राधिकारी पंजीकरण के आवेदनों की स्पष्ट सिफारिशें करें । इसका अभिप्राय यह है कि चयन कर लिए जाने पर नियोक्ता संबंधित विशेषज्ञों की नियुक्ति स्वीकार करने के लिए पदमुक्त कर देंगे।

8.14. अन्तर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के लिए विशेषज्ञों के पंजीकरण के लिए, सरकारी कर्मचारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा अन्य सरकारी एवं अर्ध-सरकारी संगठनों के कार्यकारियों से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में उपलब्ध निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । इन आवेदन-पत्रों को संबंधित नियोक्ता द्वारा की गई स्पष्ट सिफारिश के साथ भेजा जाना होता है । वैध आवेदन-पत्र उस विशिष्टता की विभिन्न श्रेणियों जिससे आवेदकों का संबंध हो, के अन्तर्गत पंजीकृत किए जाते हैं । जब नियुक्ति के लिए अनुरोध प्राप्त होता है, तो संगत क्षेत्रों के तहत पंजीकृत विशेषज्ञों की उनके पंजीकरण की वरिष्ठता के अनुसार तथा विशिष्ट कार्यों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर सिफारिश की जाती है ।

9. नियुक्ति की अवधि की अधिकतम सीमा :

किसी अधिकारी को उसकी सेवा के पहले पच्चीस वर्षों के दौरान अधिकतम पांच वर्ष तक की दीर्घावधि नियुक्ति की अनुमति दी जा सकती है । 25 वर्ष की सेवा के पश्चात् कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी । तथापि, उस अवस्था में जब कोई अधिकारी एक ही बार में अथवा किस्तों में दीर्घावधि नियुक्ति के दो वर्ष (24 महीने) पूरे कर लेता है तो ऐसी नियुक्ति से उसके वापस आने पर केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत संयुक्त सचिव तथा इसके समकक्ष पदों के लिए पैनल में उसका नाम शामिल करने पर विचार नहीं किया जाएगा; अपर सचिव/सचिव अथवा समकक्ष पदों पर पैनल में लिए जाने के लिए पात्र अधिकारी के मामले में तद्नुरूपी अवधि एक वर्ष होगी । तथापि, जब कोई अधिकारी अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के समय दीर्घ अवधि की नियुक्ति पर होता है तो उसे उस नियुक्ति की समाप्ति पर दो वर्ष की प्रतीक्षा अवधि (कूलिंग ऑफ पीरियड) में रहना पड़ता है, और वह इसके पश्चात् ही ऐसी दीर्घ अवधि की अन्य नियुक्ति के लिए पात्र होगा जिसे ऐसी नियुक्तियों के लिए निर्धारित सीमा से छूट होगी ।

9.1. नियुक्ति की प्रतिनियुक्ति पर सीमा से संबंधित उपबंध अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत सरकार के कैपटिव पदों पर लागू होंगे, किन्तु भारत सरकार के विदेशी पदों, विकासशील देशों की द्विपक्षीय नियुक्तियों तथा संयुक्त राष्ट्र की स्वैच्छिक एजेंसियों पर नहीं ।

9.2. उपर्युक्त उल्लिखित पांच वर्ष की सीमा समाप्त होने तथा इससे अधिक हो जाने पर किसी अधिकारी को अपने समस्त कैरियर के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अथवा विदेशी सरकार के अधीन अधिकतम पच्चीस (25) माह की लघु अवधि के लिए परामर्शदात्री सेवा करने की अनुमति दी जा सकती है। इनमें से कोई भी नियुक्ति पत्र कैलेण्डर वर्ष के दौरान तीन माह (90 दिन) से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि उस प्रशासनिक विभाग/मंत्रालय जिसमें अधिकारी कार्यरत है, उसके स्थान पर किसी एवजी को नियुक्त किए बिना उसकी सेवाएं छोड़ने की स्थिति में हो ।

10. अपेक्षित प्रतीक्षा अवधि :

180 दिनों से अधिक अवधि की विदेश नियुक्ति से लौटने वाला अधिकारी दो वर्ष तक दीर्घ अवधि की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

11. नामांकन के लिए निर्धारित स्तर :

संयुक्त राष्ट्र तथा इसकी विशिष्ट एजेंसियों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सामान्यतया रिक्ति की घोषणा करते समय पद के वेतनमान स्पष्ट कर देते हैं । यह निर्णय किया गया है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सचिवालय के पदों के लिए नामांकन करते समय सरकार के अधिकारियों के रैंकों तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों में वेतन के स्तरों के बीच कुछ समरूपता सादृश्यता सुनिश्चित की जाएगी । तथापि प्रोजेक्ट से जुड़ी फील्ड नियुक्तियों के लिए ऐसी समरूपता पर बल नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऐसी नियुक्तियों के लिए स्तर प्रायः लचीले होते हैं तथा वेतन एवं अन्य शर्तें अधिकारी/विशेषज्ञ के अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर बातचीत द्वारा तय की जा सकती है । इस विषय में भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों को निर्देश देने के लिए परिशिष्ट में विभिन्न मानदण्ड दर्शाए गए हैं जिनका, संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय, इसकी विशिष्टीकृत एजेंसियों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में विभिन्न स्तर के पदों के लिए विचार किए जाने वाले अधिकारियों की श्रेणी निर्धारित करते समय अनुपालन किया जाएगा ।

12. सरकारी काम-काज में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क रखने वाले अधिकारियों पर प्रतिबंध :

भारत सरकार के नॉडल मंत्रालय/विभागाध्यक्ष के कार्यालय/सरकार के संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय/विदेश में भारतीय मिशन के अधिकारी जो किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समन्वयात्मक अथवा नॉडल हैसियत से सीधे सम्पर्क में हैं, उन्हें संबंधित संगठन के सचिवालय में अपने पद पर कार्यभार छोड़ने के बाद दो वर्ष की अवधि तक नियुक्ति लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । तथापि, साथ ही बहुत-से आपवादिक मामलों में जहां किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय/सचिवालय में किसी पद को मुख्य पद अथवा नाजुक महत्व का पद समझा जाता है तथा सरकार यह महसूस करती है कि कोई विशिष्ट अधिकारी, संगठन के साथ सम्पर्क रखते हुए भी सर्वाधिक उपयुक्त और योग्य है और इसे स्वीकार किये जाने की सम्भावना है तो उस अधिकारी को सिविल सेवा बोर्ड (सी. एस. बी.)/मंत्रिमंडल सचिव की सिफारिशों तथा प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर उस पद के लिए नामित किया जा सकता है ।

उन नियुक्तियों में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बहुत उच्च स्तर के पद शामिल होंगे, जिनमें से कुछ पद मुख्यतया चयन द्वारा अथवा प्रान्तीय प्रतिनिधित्व के आधार पर अथवा बहुत उच्च स्तर के विशेषज्ञों द्वारा भरे जाते हैं।

12.1. सरकार की नीति हमेशा यह रही है कि इसके अधिकारियों का अन्तर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में प्रभुत्व न हो। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत सरकार के शिष्टमंडलों के ऐसे अधिकारियों तथा सदस्यों के विरुद्ध गंभीर दृष्टिकोण अपनाया जाएगा तथा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी जो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जिनके साथ उनका संपर्क है, पदों का समर्थन करने अथवा प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न करते हैं।

13. संवर्ग अनापत्ति :

विदेश नियुक्तियों के सभी मामलों में किसी अधिकारी के नियुक्ति पर जाने से पूर्व संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी से संवर्ग अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है। केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत पदों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (भारत सरकार का स्थापना अधिकारी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी अपेक्षित होगा। उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का मात्र आधार यही होगा कि क्या प्रश्नाधीन अधिकारी को संवर्ग की प्रबन्ध व्यवस्था तथा लोक सेवा की आवश्यकता की दृष्टि से कार्यमुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि इस पत्र में दी गई विदेश नियुक्ति की अवधि की सीमा तथा प्रतीक्षा अवधि (कूलिंग ऑफ पीरियड) से संबंधित अपेक्षाएं उपबंधों के अनुरूप हों। ऐसी अनापत्ति के लिए कोई अन्य सामान्य कारण (जैसे कि किसी अधिकारी की संवर्ग में अनुपस्थिति की अवधि इत्यादि) आदि संगत नहीं होंगे।

13.1. उन मामलों में जहां सरकार किसी अधिकारी को किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए नामित करती है, वहां संवर्ग अनापत्ति नामांकन के समय दी जानी चाहिए। अन्य सभी मामलों में, यह तब प्राप्त की जानी चाहिए जब अन्तर्राष्ट्रीय संगठन/विदेशी सरकार से इस आशय का पत्र प्राप्त हो जाए कि संबंधित अधिकारी के मामले पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा है अथवा उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव भेजने के लिए अनन्तिम निर्णय ले लिया गया है।

13.2. राज्य सरकार तथा उसके उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में, राज्य सरकार को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि क्या वह विशेषज्ञ को विदेश नियुक्ति स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करे अथवा नहीं। उनका लियन बनाए रखने तथा सेवा में उनकी वरिष्ठता बनाए रखने से संबंधित मामलों का भी राज्य सरकार द्वारा इन विशेषज्ञों पर लागू नियमों के अनुसार निर्णय किया जाए।

14. सामान्य दिशा-निर्देश :

पूर्ववर्ती पैराग्राफों में, विभिन्न नोडल मंत्रालयों/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उत्तरदायित्वों की रूपरेखा दी गयी है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके नियंत्रणाधीन अधिकारी विदेश नियुक्ति के लिए आवेदन देने और प्राप्त करने के मामलों में इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। वे इन अधिकारियों द्वारा विदेश नियुक्ति पर की गई सेवा की अवधि से संबंधित आंकड़े रखेंगे तथा ऐसी नियुक्तियों के लिए निर्धारित सीमा तथा अपेक्षित प्रतीक्षा अवधि (कूलिंग ऑफ पीरियड) आदि से संबंधित उपबंधों को लागू करेंगे।

14.1 हालांकि नियंत्रण प्राधिकारी तथा नॉडल मंत्रालय और विभाग इन दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न अनापत्तियां देने के लिए सक्षम हैं फिर भी इस स्थिति से किसी भी प्रकार के परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावों के लिए कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से पूर्व परामर्श तथा स्वीकृति लेनी होगी ।

14.2. यदि नॉडल अथवा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का विचार हो कि किसी सुविज्ञ श्रेणी को भारत सरकार द्वारा "दुर्लभ" घोषित किया जाना चाहिए ताकि उस क्षेत्र के किसी भारतीय विशेषज्ञ को विदेश नियुक्तियों के लिए बाहर जाना सरलता से अनुमत्य न हो सके, तो उपयुक्त प्रस्ताव कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेजना चाहिए जो इस संबंध में उपयुक्त आदेश जारी करेगा । यदि किसी भारतीय विशेषज्ञ को विदेश में किसी "दुर्लभ" घोषित की गई श्रेणियों पर नियुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे नियुक्ति से पूर्व भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा ।

14.3. संयुक्त राष्ट्र एजेन्सियों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों अथवा द्विपक्षीय नियुक्तियों पर भेजे गए व्यक्ति भारत में वापस आए बिना सेवा से त्यागपत्र दे सकते हैं अथवा यदि अनुमत्य अवधि से अधिक के लिए विदेशी नियुक्ति पर बने रहना चाहें तो अपने मूल विभाग से त्यागपत्र दे सकते हैं । आई. टी. ई. सी. में नियुक्त सरकारी कार्मिक विदेश में सेवा करते समय सेवा से त्यागपत्र नहीं दे सकते चूंकि भारत सरकार, विदेश मंत्रालय को ऐसे व्यक्तियों का वेतन तथा अन्य व्यय वहन करना पड़ता है ।

14.4. किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो -

(i) विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आई. टी. ई. सी.) कार्यक्रम तथा अन्य सहायता कार्यक्रमों पर नियुक्त हो;

(ii) मंत्रालय/विभाग के विदेश में स्थित कार्यालय में तैनात हो;

(iii) विदेशी सरकार को विशेष अनुबंध नियुक्ति पर जाता हो,

को भारत में स्थानान्तरण ले लेने तथा भारत में डयूटी का कार्यभार संभालने तथा एक वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा करने के बाद ही स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति की अनुमति दी जाएगी । फिर भी, यह प्रतिबंध यू. एन./अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति पर गए हुए अधिकारियों के मामलों पर लागू नहीं होगा ।

14.5. चूंकि भारतीय अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति भारत तथा संबंधित देश के बीच परस्पर सद्भाव तथा सूझबूझ को बढ़ाती है इसलिए नियमानुसार यह लोकहित में होगा यदि विदेश नियुक्ति के लिए चुने गए सरकारी कर्मचारी और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों का ग्रहणाधिकार रखा जाए ।

14.6. राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाती है कि वे आवेदक का ग्रहणाधिकार रखते हुए तथा वरिष्ठता का संरक्षण देते हुए अपने कर्मचारियों को विदेश में सेवा के लिए विदेश सेवा शर्तों पर, लोकहित में कार्यमुक्त कर दें। राज्य सरकार कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार कर्मचारियों को विदेश में भेजने की अनुमति दे सकती है ।

14.7. ये आदेश जारी होने की तारीख से लागू होंगे । ऐसे सभी व्यक्ति जो इस समय विदेश नियुक्तियों पर हैं, की प्रतिनियुक्ति अवधि आदि में वृद्धि के प्रस्ताव, इन आदेशों के उपबन्धों के अनुसार शासित होंगे ।

14.8. इन अनुदेशों से संबंधित सभी प्रश्न अथवा संदेहों के स्पष्टीकरण के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्णय दिया जाएगा ।

(नीलमाधब महान्ति)

स्थापना अधिकारी तथा अपर सचिव, भारत सरकार।

प्रति सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र की विषय-वस्तु अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की जानकारी में लाएं ।
2. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
3. महानियंत्रक, रक्षा लेखा ।
4. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग ।
5. सचिव, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. सचिव, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. सभी विश्वविद्यालय/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के उपकुलपति ।
8. लोक उद्यम ब्यूरो, मयूर भवन, नई दिल्ली ।
9. प्रधान मंत्री का कार्यालय ।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों को ।
11. कार्मिक, लोक शिकायत तथो पेंशन मंत्रालय के सभी सम्बद्ध कार्यालयों के सभी अधिकारी तथा कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सभी अनुभाग ।

(श्रीमती ए. सी. दुग्गल)

उप सचिव, भारत सरकार ।

संयुक्त राष्ट्र एजेन्सियों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के सचिवालय के पदों पर विचार किए जाने वाले अधिकारियों का स्तर ।

टिप्पणी 1 : किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के पदों के स्तर तथा भारतीय अधिकारियों के स्तरों के मध्य निम्नलिखित पत्राचार केवल वहां तक ही न्यायसंगत है जहां तक किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के सचिवालय के पदों का संबंध होता है । परियोजना इत्यादि से संबंधित क्षेत्रीय कार्यों के लिए कोई पत्राचार निर्धारित नहीं है ।

2 : अधिकारियों को वही नियुक्तियां लेने की अनुमति दी जाए जो निर्धारित स्तर से एक स्तर ऊपर अथवा नीचे हों ।

स्तर :	पात्र भारतीय विशेषज्ञों के पद का स्तर/वेतनमान
पद	
डी 2 : डी 1 :	बिना किसी उच्चतर सीमा के भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा इसके समकक्ष सेवा वाले अधिकारी जिनकी 17 वर्षों से अधिक सेवा हो । तकनीकी तथा उच्च अधिकारी जिनका स्तर भारत सरकार के संयुक्त सचिवों के बराबर अथवा ऊपर हो; अन्य मामलों में रु० 5900-6700 से अधिक वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी ।
पी 5 :	भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा समकक्ष सेवा के 14 से 17 वर्ष की सेवा वाले अधिकारी । तकनीकी तथा अन्य अधिकारी जो भारत सरकार के निदेशकों के समकक्ष हों । अन्य मामलों में रु० 4500 से 5700 का वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी ।
पी 4 :	भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा समकक्ष सेवा के 9 से 14 वर्ष की सेवा वाले अधिकारी । तकनीकी तथा अन्य अधिकारी जो भारत सरकार के उप सचिव के समकक्ष हों, अन्य मामलों में रु० 3700 से 5000/- तक का वेतनमान प्राप्त करनेवाले अधिकारी ।
पी 3 :	भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा समकक्ष सेवा के 6 से 9 वर्ष तक की सेवा वाले अधिकारी । तकनीकी तथा अन्य अधिकारी जो भारत सरकार के अवर सचिवों के समकक्ष हों । अन्य मामलों में रु० 3000 से 4500/- तक का वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी ।
पी 2 :	भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा समकक्ष सेवा के 4 से 6 वर्ष की सेवा वाले अधिकारी । तकनीकी तथा अन्य अधिकारी जो भारत सरकार के कनिष्ठ अवर सचिवों के समकक्ष हों । अन्य मामलों में रु० 3000/- तक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी ।
पी 1 :	भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा समकक्ष सेवा के तीन वर्ष तक की सेवा वाले अधिकारी । तकनीकी तथा अन्य अधिकारी जो अटैचियों/पंजीयकों, अनुभाग अधिकारियों के समकक्ष हों ।

No. 11015/5/90-AIS III.

Government of India

Ministry of Personnel, P.G. & Pensions

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 8-8-1990

To

The Chief Secretaries of all States and Union Territories.

Subject : AIS (Leave) Rules–Procedure for crediting earned leave for Government Servants.

Sir,

I am directed to refer to the following recommendation of the Fourth Pay Commission in paragraph 26.2 of its report :-

"The present procedure of crediting E.L. in two instalments of 15 days each on January 1st and July 1st of every calender year may be reviewed to remove disadvantages to employees in cases where they have already accumulated 180 dyas E.L. (now 240 days) before January 1st or July 1st."

2. The above recommendation has been considered and accepted by the Government. In pursuance of this, instructions have since been issued vide this Department's O.M.No. 14028/1/89-Estt (L) dated 26th December, 1989. The decision contained in the above Office Memorandum is hereby extended to the officers of the All India Services also. This may be implemented w.e.f. 1.1.90 in the manner indicated below :-

(i) In cas of officers, having at their credit earned leave of 225 days or less as on 1st January/1st July, of a year earned leave of 15 days of proportionately less in respect of retiring persons or those leaving service during the next half year may continue to be credited to their leave account in advance as at present.

(ii) In case where the earned leave at credit as on 1st January/1st July is 240 days or less but more than 225 days, credit of earned leave for 15 days may be kept separately and first adjusted against any earned leave that the Govt. servant may take during the ensuing half year and the balance if any credited to the earned leave account at the close of the half year subject to the ceiling of 240 dyas. If the earned leave taken during the half

year is more than 15 days the amount in excess of 15 days will, however, have to be debited to the leave account.

For example :-

(1) If as on 1.1.1990 the officer has at his credit earned leave of 225 days, 15 days earned leave will be credited in advance to his leave account provided he is not due to retire during the ensuing half year;

(2) If on 1.1.1990 the officer has at his credit 240 days eanred leave and (a) if he avails 15 days earned leave during the period 1.1.90 to 30.6.90, the earned leave so taken will be adjusted against the 15 days earned leave kept separately to be credited to his account on 1.1.90. He will thus have at credit as on 1.7.90, 240 days earned leave and (b) if on the other hand he takes only 10 days earned leave during the half year ending 30.6.90 such leave will be adjusted against the earned leave of 15 days to be credited to his earned leave account on 1.1.90. No further leave will, however, be credited to his earned leave account and the earned leave at his credit as on 1.7.90 will continue to be 240 days.

(3) If as on 1.1.90 the officer has 230 days earned leave at his credit and (a) if he takes 15 days earned leave during the half year ending 30.6.90 such leave will be adjusted against the 15 days earned leave to be credited to his account as on 1.1.90 and the earned leave at credit on 1.7.90 will remain as 230 days (b) if, however, he takes only 10 days earned leave during the same half year, this will first be adjusted against the 15 days earned leave to be credited as on 1.1.90 and the balance of 5 days will be credited to his leave account so that as on 1.7.90 the earned leave at his credit will be 235 days.

3. Hindi version follows.

Yours faithfully
(Subhadra S.)
Under Secretary to the Govt. of India.

Copy to :-

1. Secretaries to the Govenment of India in all Ministries/Departments.
2. Secretary, Department of Environment & Forests, New Delhi (for IFS).
3. Secretary, Ministry of Home Affairs, New Delhi (for IPS)
4. Ministry of Home Affairs, UTS, New Delhi.

(Subhadra S.)
Under Secretary to the Govt of India.

Immediate

No. 14015/14/81- AIS (I)

Government of India/ Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
Department of Personnel and A.R.
(Karmik and Prashasnik Sudhar Vibhag)

New Delhi, the 7th July,1981

To

The Chief Secretaries of all

State Governments.

Subject : IAS/IPS/IFS (Appointment by Promotion) Regulations–supply of information regarding communication of adverse remarks in character rolls of the State Service officers and representations against such remarks-instructions regarding.

Sir,

As the State Governments are aware the confidential records of eligible State Civil Service/State Police Service/State Forest Service officers are sent to the Union Public Service Commission, along with other material for consideration by the Selection Committees for preparation of Select Lists for promotion to the IAS/IFS/IPS. Certain guidelines (Annexure-1) were approved by the Commission in 1979 for dealing with adverse remarks in the confidential records of officers whose cases are required to be considered by the Selection Committee. It has, however, been brought to our notice by the Commission, that the State Government do not bring out specifically to the notice of the Selection Committee/ Commission cases where adverse entries have been communicated or where decisions on representations made against adverse entries are yet to be taken by the State Governments. According to the Commission, this results in the officers who are not included in the select list filing writ petitions against the selections made by the selection committees and in some cases the Courts passing orders accepting the writ petitions and directing the respondents to review the proceedings of the selection committee ignoring the adverse entries.

2. It is, therefore, requestaed that while furnishing the material/information to the Union Public Service Commission for holding the meetings of the Selection Committees, the State Government should invariably furnish the following certificates:-

a) Adverse remarks in the character rolls of the following eligible officers have not been communicated by the State Governmnts to the officers concerned.

b) Adverse entries in respect of the following eligible officers have been communicated but no representations have been so far received from the officers concerned but the time limit to represent is not yet over.

c) Representations against adverse entries in respect of the following officers have been received within the stipulated time but the decision of the State Govt. is yet to be taken.

Yours faithfully,

Sd/ -

(C. A. NEDUNGADI)

DESK OFFICER

No. F. 14015/14/81-IAS (I)

New Delhi, the 7th July, 1981

Copy to Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi with reference to the Commission's letter No. F-6/16(6)/81-AIS dated 11th June 1981.

Sd/ -

(C. A. NEDUNGADI)

DESK OFFICER

No. F-17/3/70-AIS (III)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

To

The Chief Secretaries of All State Government .

New Delhi-1, the 26th May, 1970 5 Jyaistha 1892.

Subject : IAS/IPS–Integrity certificates in respect of officers who are considered for promotion to the.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letter No. 14/23/65-AIS (III) dated 28th July, 1966, according to which the State Governments are required to furnish an integrity certificate in respect of each officer whose suitability for promotion to the IAS/IPS is considered by the Seleictlon Committee. The integrity certificates are normally furnished at the time of the Selection Committee Meeting. I am to request that in future a list of the officers in respect of whom the integrity is certified by the State Govt. and a list of those in respect of whom the integrity certificate is withheld may be sent to the Government of India, Union Public Service Commission in advance of the Selection Committee Meeting.

2. As regards the officers against whom inquiries are pending, the integrity certificate should not *ipso facto* be withheld. The State Government should examine each case with reference to the nature/gravity of the charges, the evidence available on the basis of the investigation made upto that time, the known arguments of defence, if any, the views of the Head of the Department, the general reputation of the officer etc. and then decide whether they would like to include him in the list of officers whose integrity is certified or in the list of officers in respect of whom the integrity certificate is withheld.

Yours faithfully,

Sd/-

(B. NARASIMHAN)

UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

No. F. 14/23/65-AIS (III)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

To

The Chief Secretaries to the

Governments of all States

(except Maharashtra, Madhya Pradesh, Punjab and Nagaland)

New Delhi, the 28th July, 66

6th Sravana 1888.

Subject :- IAS/IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955-Integrity certificate Recording of before inclusion of names in the select lists.

Sir,

I am directed to say that it has been brought to the notice of the Government of India that in order to record the Integrity Certificate ..... in para 3 of this Ministriys letter No. 14/23/65-AIS (III) dated the 8th June, 1965, the Chief Secretary would be required to scrutinise the confidential reports of all eligible officers whose number is generally very large and this would throw too much burden on the Chief Secretary who would find it impossible to undertake such preliminary scrutiny with his heavy pressure work. The Government of India have considered the matter carefully in consultation with the Union Public Service Commission and it has been decided that the above mentioned certificate may be modified as under :-

"The State Government certify the integrity of Shri..... with reference to entries in his annual confidential reports."

In view of the revised certificate it would not be necessary for the Chief Secretary to scrutinise the confidential reports of all eligible officers personally and the State Government could issue the revised certificate even if the confidential reports of the eligible officers are scrutinised by any other officer authorised by them in this behalf.

2. It has been decided that the Selection Committee should specifically records in

their proceedings that they were satisfied from the remarks in the confidential reports of the officers, selected by them for inclusion in the Select List that there was nothing against their integrity.

Yours faithfully

Sd/-(O. S. Marwah)

AUTHORISED FOR ISSUE

Sd/-(G.R. Grover)

Section Officer

No. 14/23/65 - AIS (III) New Delhi - 11, the 28the July, 1966

6th Sravana, 1888.

Copy forwarded for information and necessary action to :-

i) The Chief Secretary to the Govt.of Maharashtra, Bombay. (This disposes of State Govt's letter No. AIS 1365/2803-C dated the 23rd August 1965

ii) The Chief Secretasry to the Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal. (This disposes of State Govt's letter No. 53331-2077-11 (ii) dated the 18th August, 1965

iii) The Chief Secretary to the Govt of Punjab, Chandigarh (This disposes of State Govt's letter No. 781- ASI - 8440 dated the 7th April, 1966).

Sd/ - (O.S. Marwah)

Under Secretary to the Govt. of India.

Copy forwaded for information and necessary action to the Secretary, UPSC, New Delhi with reference to his letter No. F- 6/16/65 A (III) dated 23rd April, 1966.

Sd/- (O.S. Marwah)

Under Secretary to the Govt. of India.

Copy for information and necessary action to DH (S) Section,

Sd/ - (O.S. Marwah)

Under Secretary to the Govt. of India.

No. 22011/4,91 Estt (A)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi-110001

Dated the 14th Sept. 1992.

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Promotion of Government servants against whom disciplinary/court proceedings are pending or whose Conduct is under investigation-Procedure and guidelines to be followed.

O.M.No. 39/3/59-Estt.A dt 31.8.60
7/28/63-Estt.A dt. 22.12.64
22011/3/77-Estt.A dt. 14.7.77
22011/1/79-Estt.A dt. 31.1.82
22011/2/86-Estt.A dt. 12.1.88
22011/1/91-Estt.A dt. 31.7.91

The undersigned is directed to refer to Department of Personnel & Training OM No. 22011/2/86-Estt.(A) dated 12th January, 1988 and subsequent instructions issued from time to time on the above subject and to say that the procedure and guidelines to be followed in the matter of promotion of Government servants against whom disciplinary/court proceedings are pending or whose conduct is under investigation have been reviewed carefully. Government have also noticed the judgement dated 27.08.1991 of the Supreme Court in Union of India etc. Vs. K. V. Jankiraman etc. (AIR 1991 SC 2010). As a result of the review and in supersession of all the earlier instructions on the subject (referred to in the margin), the procedure to be followed in this regard by the authorities concerned is laid down in the subsequent paras of this OM for their guidance.

Cases of Government Servants to whom Sealed Cover Procedure will be applicable.

2. At the time of consideration of the cases of Government servants for promotion, details of Government servants in the consideration zone for promotion falling under the following categories should be specifically brought to the notice of the Departmental Promotion Committee :-

(i) Government servants under suspension;

(ii) Government servants in respect of whom a charge shoot has been issued and the disciplinary proceedings are pending; and

(iii) Government servants in respect of whom prosecution for a criminal charge is pending.

Procedure to be followed by DPC in respect of Government servants under cloud.

2.1. The Departmental Promotion Committee shall assess the suitability of the Government servants coming within the purview of the circumstances mentioned above alongwith other eligible candidates without taking into consideration the disciplinary case/criminal prosecution pending. The assessment of the DPC, including 'Unlit for Promotion', and the grading awarded by it will be kept in a sealed cover. The cover will be superscribed "Findings regarding suitability for promotion to the grade/post of ..... in respect of Shri ..... (name of the Government servant). Not to be opened till the termination of the disciplinary case/criminal prosecution against Shri ....." The proceedings of the DPC need only contain the note "The findings are contained in the attached sealed cover." The authority competent to fill the vacancy should be separately advised to fill the vacancy in the higher grade only in an officiating capacity when the findings of the DPC in respect of the suitability of a Government servant for his promotion are kept in a sealed cover.

Procedure by ausequent DPCs.

2.2. The same procedure outlined in para 2.1. above will be followed by the subsequent Departmental Promotion Committees convened till the disciplinary case/criminal prosecution against the Government servant concerned is concluded.

Action after completion of disciplinary case/ criminal prosecution.

3. On the conclusion of the disciplinary case/criminal prosecution which results in dropping of allegations against the Govt. servant, the sealed cover or covers shall be opened. In case the Government servant is completely exonerated, the due date of his promotion will be determined with reference to the position assigned to him in the findings kept in the sealed cover/covers and with reference to the date of promotion of his next junior on the basis of such position. The Government servant may be promoted, if necessary by reverting the juniormost officiating

person. He may be promoted notionally with reference to the date of promotion of his junior. However, whether the officer concerned will be entitled to any arrears of pay for the period of notional promotion preceding the date of actual promotion, and if so to what extent, will be decided by the appointing authority by taking into consideraton all the facts and circumstances of the disciplinary proceeding/criminal prosecution. Where the authority denies arrears of salary or part of it, it will record its reasons for doing so. It is not possible to anticipate and enumerate exhaustively all the circumstances under which such denials of arrears of salary or part of it may become necessary. However, there may be cases where the proceedings, whether disciplinary or criminal, are for example delayed at the instance of the employee or the clearance in the disciplinary proceeings or acquittal in the criminal proceedings is with benefit of doubt or on account of non-availability of evidence due to the acts attributable to the employee etc. These are only some of the circumstances where such denial can be justified.

3.1. If any penalty is imposed on the Government servant as a rsult of the disciplinary proceedings or if he is found guilty in the criminal prosecution against him, the findings of the sealed cover/covers shall not be acted upon. His case for promotion may be considered by the next DPC in the normal course and having regard to the penalty imposed on him.

3.2. It is also clarified that in a case where disciplinary proceedings have been held under the relevant disciplinary rules, "warning" should not be issued as a resut of such proceedings. It is found as a result of the proceedings that some blame attaches to the Government servant, at least the penalty of 'censure' should be imposed.

Six Monthly review of 'Sealed Cover' cases.

4. It is necessary to ensure that the disciplinary or criminal prosecution instituted against any Government servant is not unduly prolonged and all efforts to finalise expeditiously the proceedings should be taken so that the need for keeping the case of Government servant in a sealed cover is landed to the barest minimum. It has therefore been decided that the appointing authorities concerned should review comprehensively the cases

of Government servants whose suitability for promotion to a higher grade has been kept in a sealed cover on the expiry of six months from the date of convening the last Departmental Promotion Committee which had adjudged him suitable, and kept the findings in the sealed cover. Such a reivew should be done subsequently also every six months. The review should, *inter alia*, cover the progress made in the disciplinary proceedings/criminal prosecution and the further measures to be taken to expedite their completion.

Procedure for ad-hoc promotion

5. In spite of the six monthly review referred to in para 4 above, there may be some cases, where the disciplinary case/ criminal prosecution against the Government servant is not concluded even after the expiry of two years from the date of the meeting of the first DPC, which kept its findings in respect of the Government servant in a sealed cover. In such a situation the appointing authority may review the case of the Government servant, provided he is not under suspension, to consider the desirability of giving him *ad-hoc* promotion keeping in view the following aspects :-

(a) Whether the promotion of the officer will be against public interest;

(b) Whether the charges are grave enough to warrant continued denial of promotion;

(c) Whether there is any likelihood of the case coming to a conclusion in the near future;

(d) Whether the delay in the finalisation of proceedings, departmental or in a court of law, is not directly or indirectly attributable to the Government servant concerned; and

(e) Whether there is any likelihood of misuse of official position which the Government servant may occupy after *ad-hoc* promotion, which may adversely affect the conduct of the departmental case/criminal prosecution.

The appointing authority should also consult the Central Bureau of Investigation and take their views into account where the departmental proceedings or criminal prosecution arose out of the investigations conducted by the Bureau.

5. 1. In case the appointing authority comes to a conclusion that it would not be against the public Interest to allow ad-hoc promotion to the Government servant. his case should be placed before the next DPC held in the normal course after the expiry of the two year period to decide whether the officer is suitable for promotion on *ad-hoc* basis. Where the Government servant is considered for *ad-hoc* promotion, the Departmental Promotion Committee should make its assessment on the basis of the totality of the individual's record of service without taking into account the pending disciplinary case/criminal prosecution against him.

5.2. After a decision is taken to promote a Government servant on an *ad-hoc* basis, an order of promotion may be issued making it clear in the order itself that :—

(i) the promotion is being made on purely *ad-hoc* basis and the *ad-hoc* promotion will not confer any right for regular promotoin; and

(ii) the promotion shall be "until further orders." It should also be indicated in the orders that the Government reserve the right to cancel the *ad-hoc* promotion and revert at any time the Government servant to the post from which he was promoted.

5.3. If the Government servant concerned is acquited in the crimial prosecution on the merits of the case or is fully exonerated in the departmental proceedings, the *ad-hoc* promotion already made may be confirmed and the promotion treated as a regular one from the date of the *ad-hoc* promotion with all attendant benefits. In case the Government servant could have normally got his regular promotion from a date prior to the date of his *ad-hoc* promotion with reference to his placement in the DPC proceedings kept in the soaled cover(s) and the actual date of promotion of the person ranked immediately junior to him by the same DPC, he would also be allowed his due seniority and benefit of notional promotion as envisaged in para 3 above.

5.4. If the Government servant is not acquitted on merits in the criminal prosecution but purety on technical grounds and Government either proposes to take up the matter to a higher court or to proceed against him departmentally or if the Government servant is not exonerated in the departmental proceedings, the *ad-hoc* promotion granted to him should be brought to an end.

Sealed cover procedure for confirmation.

6. The procedure outlined in the preceding paras should also be followed in considering the claim for confirmation of an officer under suspension, etc. A permanent vacancy should be reserved for such an officer when his case is placed in sealed cover by the DPC.

Sealed Cover procedure applicable to officers coming under cloud after holding of DPC but before promotion.

7. A Government servant, who is recommended for promotion by the Departmental Promotion Committee but in whose case any of the circumstances mentioned in para 2 above arise after the recommendations of the DPC are received but before he is actually promoted, will be considered as if his case had been placed in a sealed cover by the DPC. He shall not be promoted until he is completely exonerated of the charges against him and the provisions contained in this OM will be applicable in his case also.

8. In so far as the personnel serving in the Indian Audit Accounts Department are concerned, these instructions have been issued after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

9. Hindi version will follow.

(M. S. BALI)
Director

To

All Ministries and Departments of the Government of India with usual number of spare copies.

No. 22011/4/91-Estt (A) Dated the 14th Sept. 1992.

Copy forwarded for information to :—

1. Central Vigilance Commission, New Delhi.
2. Central Bureau of Investigation, New Delhi.
3. Union Public Service Commission, New Delhi.
4. Comptroller and Auditor General, New Delhi
5. President's Secretariat/Vice-President's Secretariat/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat and Prime Minister's Office.
6. Chief Secretaries of All States and Union Territories.
7. All Officers and Administrative Sections in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and Ministry of Home Affairs.

(M. S. BALI)
Director